लोक-सभा
वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड १, १९६२/१८८४ (शाक)

[१६ से २७ अप्रैल, १९६२/२६ चैत्र से ७ वैशाख, १८८४ (शक)]

Chamber ... 18/X/1.23...

3rd Lok Sabha

Preservation 14-5-92
Fumigated On 3.12.83
Parliament Library

पहला सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड १ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय सूची

तृतीय माला, खण्ड १--अंक १ से १०--१६ से २७ अप्रैल, १९६२/ २६ चैत्र से ७ वैशाख, १८८४ (शक)

अंक १--सोमवार, १६ अप्रैल, १९६२/२६ चैत्र, १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	१--१६
सदस्य द्वारा त्यागपत्र	१६
दैनिक संक्षेपिका	१७

अंक २--मंगलवार, १७ अप्रैल, १९६२/२७ चैत्र, १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	१९-२०
अध्यक्ष का निर्वाचन	२०
अध्यक्ष का अभिनन्दन	२०--२९
दैनिक संक्षेपिका	३०

अंक ३--बुधवार, १८ अप्रैल, १९६२/२८ चैत्र, १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	३१
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	३१
राष्ट्रपति का अभिभाषण सभा पटल पर रखा गया	३१--३५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३५
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	३५-३६
दैनिक संक्षेपिका .	३७-३८

अंक ४--गुरुवार, १९ अप्रैल, १९६२ / २९ चैत्र, १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	३९
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ११२, २१, २२, ३ से ११ और १३	४०--६२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १	६२-६३
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १२, १४ से २० और २३ से ४२	६४--७६
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ६ और ८ से १९	७६--८४
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	८४-८५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
अन्दमान द्वीप समूह में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	८५--८७

	पृष्ठ
प्रक्रिया के बारे में	८७
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	८७–८८
सभापति-त्रालिका	८८
रेलवे आयव्ययक, १९६२–६३——उपस्थापित	८८——९५
राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन के बारे में वक्तव्य	९५
दैनिक संक्षेपिका	९६——९९
अंक ५——शनिवार, २१ अप्रैल, १९६२/१ वैशाख, १८८४ (शक)	
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	१०१
प्रश्नों के मौखिक उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३ से ४८, ५०, ५१, ५५, ५२ से ५४ और ५६ से ५९	१०१——२३
प्रश्नों के लिखित उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या ४९ और ६० से ७९	१२३–३२
अतारांकित प्रश्न संख्या २० से ६६	१३२——५०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१५१
प्राक्कलन समिति——	
एक सौ उनहत्तरवां प्रतिवेदन एक सौ सतरवां प्रतिवेदन एक सौ इकहत्तरवां प्रतिवेदन एक सौ बहत्तरवां प्रतिवेदन	१५१–५२
सभा का कार्य	१५२
रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा	१५२——६४
मृत्यु दंड को समाप्त करने के बारे में संकल्प वापस ले लिया गया	१६५——८१
जनता एक्सप्रेस गाड़ियों के बारे में संकल्प	१८२——८३
दैनिक संक्षेपिका	१८४——८८
अंक ६——सोमवार, २३ अप्रैल, १९६२/३ वैशाख, १८८४ (शक)	
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	१८९
प्रश्नों के मौखिक उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या ८०, ८१ और ८३ से ९४	१८९——२११
प्रश्नों के लिखित उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या ८२, ९५ से १२२ और १२४ से १३१	२१२——२९
अतारांकित प्रश्न संख्या ६७ से १२६	२२९——५६
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	२५६–५७

	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाने की सूचनाओं के बारे में	२५७
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२५८–५९
उपाध्यक्ष का निर्वाचन	२५९––६२
उपाध्यक्ष का अभिनन्दन	२६३––६५
रेलवे आय व्ययक––सामान्य चर्चा	२६५––२८८
सामान्य आयव्ययक, १९६२–६३––उपस्थापित	२८८––३०६
वित्त (संख्या २) विधेयक, १९६२––पुरःस्थापित	३०६
दैनिक संक्षेपिका	३०७––१३
अंक ७––मंगलवार, २४ अप्रैल, १९६२/४ वैशाख, १८८४ (शक)	
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	३१५
प्रश्नों के मौखिक उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १३२ से १४७	३१५––४२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २	३४२––४४
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १६१	३४५––५१
अतारांकित प्रश्न संख्या १२७ से १४०	३५१––५७
संयुक्त राज्य अमेरिका के परमाणु परीक्षणों को पुनः आरम्भ करने के प्रस्तावित निश्चय के बारे में ; तथा नागा विद्रोहियों द्वारा पकड़े गये भारतीय वायु सेना के अधिकारियों के बारे में वक्तव्य	३५७––५९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––	
मालदा जिले के सीमांत क्षेत्रों में उपद्रव	३६०
सभा की कार्यवाही का तत्काल अनुवाद करने के बारे में	३६०–६१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३६१
राज्य सभा से सन्देश	३६१
भेषज (संशोधन) विधेयक––	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया	३६२
सभा में स्थानों के नियतन के बारे में	३६२
धनबाद के निकट हुई रेलवे दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	३६२–६३
रेलवे आयव्ययक––सामान्य चर्चा	३६३––८५
दैनिक संक्षेपिका	३८६––८८

पृष्ठ

अंक ८—बुधवार, २५ अप्रैल, १९६२/५ वैशाख, १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण ३८९

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १६३ से १७१, १७३, १७६ और १७७. ३८९--४१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १६२, १७२, १७४, १७५ और १७८ से १९५ ४१०–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या १४१ से १६४, १६६ से १६८ और १७० से १८२ ४२१--३६

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४३६

समितियों में निर्वाचन--

१. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ४३७

२. भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति ४३७

३. राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड ४३७–३८

४. अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था ४३८

सभा की कार्यवाही का तत्काल अनुवाद के बारे में ४३८–४०

रेलवे आयव्ययक--सामान्य चर्चा ४४०–८६

दैनिक संक्षेपिका ३८७—९०

अंक ९--गुरुवार, २६ अप्रैल, १९६२/६ वैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९६ से १९८, २०० से २०६ और २०८ से २१० ४९१--५१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९९, २०७ और २११ से २३२ ५१४--२५

अतारांकित प्रश्न संख्या १८४ से १८७ और १८९ से २२२ ५२५--४१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

नामरूप उर्वरक परियोजना के लिये भूमि का अर्जन ५४१–४२

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५४२--४५

समितियों के लिये निर्वाचन--

प्रौद्योगिकीय संस्था अधिनियम के अधीन परिषद् ४४५

भारतीय खान स्कूल की प्रशासकीय परिषद् ५४५–४६

रेलवे आयव्ययक—सामान्य चर्चा ५४६--६७

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव ५६७--८४

दैनिक संक्षेपिका ५८५--९०

पृष्ठ

अंक १०—शुक्रवार, २७ अप्रैल, १९६२ / ७ वैशाख, १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण ५९१

प्रश्नों के मौखिक उतर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३३ से २३९, २४१ और २४३ से २५३ ५९१—६१८

प्रश्नों के लिखित उतर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४०, २४२ और २५४ से २६८ ६१८—२५

अतारांकित प्रश्न संख्या २२३ से २४९ ६२६—३९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

बिहार में सीमेंट की कमी ६३९–४०

सभा पटल पर रखे गये पत्र ६४०–४१

सभा का कार्य ६४१–४२

समितियों के लिये निर्वाचन—

(१) रबड़ बोर्ड ; और ६४२

(२) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ६४२–४३

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव ६४३–५१, ६५६–६३

विधेयक पुर:स्थापित—

(१) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, (धारा ३४२ और ५६२ का संशोधन **[श्री म० ला० द्विवेदी का]** ६५१–५२

(२) कारखाना (संशोधन) विधेयक, (नई धारा ९क का रखा जाना) **[श्री स० चं० सामन्त का]** ६५२

(३) विधान परिषद् (रचना) विधेयक, **[श्री श्रीनारायण दास का]**. ६५२

(४) असैनिक उड्डयन (लाइसेंस देना) विधेयक, **[श्री जं० ब्र० सिंह विष्ट का]** ६५३

(५) भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक (धारा ६८ और ६९ का संशोधन) **[श्री स० चं० सामन्त का]** ६५४

(६) सरकारी नौकरी (निवास की आवश्यकता) संशोधन विधेयक, (धारा ५ का संशोधन) **[श्री जं० ब्र० सिंह विष्ट का]** ६५४

(७) व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, (धारा ८७ख का लोप) **[श्री म० ला० द्विवेदी का]** ६५५

(८) जमा करने और अनुचित लाभ उठाने को रोकना विधेयक, **[श्री म० ला० द्विवेदी का]** ६५५

पृष्ठ

(९) नारियल जटा उद्योग (संशोधन) विधेयक, (धारा १०, २०, २१ और २६ का संशोधन) **[श्री स० च० सामन्त का]** ६५५

(१०) चल-चित्र उद्योग कामकर (काम की दशा में सुधार) विधेयक **[श्री जं० ब्र० सिंह विष्ट का]** ६५६

(११) हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, (नई धारा २३क का रखा जाना) **[श्री ज० ब्र० सिंह विष्ट का]** ६५६

दैनिक संक्षेपिका ६६४—६८

नोट—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

शुक्रवार, २७ अप्रैल, १९६२

७ वैशाख, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

श्री मच्छरासा मच्छराजू (नरसीपटनम)

श्री सलाम टोम्बी (आन्तरिक मनीपुर)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दवाइयों की जांच के लिये केन्द्रीय संस्था

†*२३३. { **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के कारखानों द्वारा बनाई गई दवाइयों की किस्म की जांच के लिये एक केन्द्रीय संस्था की स्थापना के बारे में सरकार ने जो आश्वासन दिया था उसे पूरा करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड ने अपने यहां बनने वाली दवाइयां आदि की किस्म में सुधार के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

†मूल अंग्रेजी में

291 (Ai) LSD—1.

विवरण

(क) केन्द्रीय औषधि पुनर्नियंत्रण संस्था की स्थापना के बारे में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

(ख) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड की उत्पादों का औषधि अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा निर्धारित स्तर के अनुसार परीक्षण किया जाता है। ये परीक्षण कारखाने के किस्म नियंत्रण प्रयोगशाला में किये जाते हैं ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या इस समाचार में कोई सचाई है कि हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स द्वारा बनाये गये किसी इंजेक्शन में एक मक्खी पायी गयी थी ?

†**श्री कानूनगो :** वह बहुत पुरानी कहानी है । इस बारे में दोनों सदनों में चर्चा हो चुकी है ।

†**श्री ओंकारायण दास:** योजना का ब्योरा क्या है और इसको कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

†**श्री कानूनगो :** इस समय यह योजना औषधि निर्माण की सरकारी क्षेत्रीय परियोजनाओं तक ही सीमित रहेगी । क्यों कि चार औषधि-निर्माण संयंत्र बनाये जा रहे हैं, संस्था को काम शुरू करने में कुछ समय लगेगा ?

†**श्री हरि विष्णु कामत:** क्या इस बात का सुनिश्चय करने की कोई व्यवस्था है कि बाजार में जो औषधि बेची जाय वह वही हो जो कारखाने में बनायी गयी हो अर्थात् इसमें अपमिश्रण न हों?

†**श्री कानूनगो :** सरकारी क्षेत्रीय परियोजनाओं में बनाई जाने वाली औषधियों का पैकिंग इतना स्पष्ट होता है कि वह खोला नहीं जा सकता ।

†**श्रीमती विमला देवी :** क्या सरकार को यह पता चला है कि सब-स्टण्डर्ड की औषधियां बड़ी मात्रा में बेची जाती हैं और बाज दफ़ा वे घातक सिद्ध होती है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**श्री कानूनगो :** औषधि नियंत्रक का एक संगठन है जो विभिन्न निर्माताओं द्वारा बाजार में दिये जाने वाली सभी प्रकार की औषधियों की जांच करता है । उनको जब्त करने और इस संसद द्वारा पारित औषधि अधिनियम के अधीन कदम उठाने का अधिकार है ।

†**श्री उमा नाथ :** क्या सरकार पहले प्रश्न में निर्देशित मामलों के बारे में कोई कड़ी वैधानिक व्यवस्था करेगी ?

†**श्री कानूनगो :** यदि कोई व्यवस्था की भी गयी, तो वह विधेयक के रूप में पेश की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रमंडलीय देशों के प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन

+

†*२३४. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री बासप्पा :
श्री वेंकटा सुब्बय्या :
श्री लीलाधर कटकी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रमण्डलीय देशों के प्रधान मंत्रियों का अगला सम्मेलन कब होगा ; और

(ख) यह सम्मेलन कहां होगा ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) यह सुझाव दिया गया है कि अगली बैठक २० सितम्बर को लगभग १ सप्ताह के लिये होगी ।

(ख) लन्दन ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : राष्ट्रमंडलीय देशों के प्रधान मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में यह स्वीकार किया गया था कि अगली बैठक भारत में होगी या कनाडा में । उस करार पर स्थिर न रहने के क्या कारण हैं ? क्या हम यह समझें कि भावी बैठकें राष्ट्रमंडलीय देशों की विभिन्न राजधानियों में होंगी ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मुझे पता नहीं है कि क्या राष्ट्रमंडलीय देशों के प्रधान मंत्रियों के अगले सम्मेलन के स्थान के बारे में कोई सहमति हुई थी ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यह बैठक केवल योरोपीय साझा बाजार में ब्रिटेन के प्रवेश पर विचार के ही लिये होगी या प्रधान मंत्री जी ब्रिटेन द्वारा पारित आप्रवजन अधिनियम से उत्पन्न जातीय भेद-भाव के प्रश्न को भी उठायेंगे ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : सामान्यतः इन सम्मेलनों के लिये कोई कार्य-सूची नहीं होती । यह बैठक विशषतः योरोपीय साझा बाजार में ब्रिटेन के प्रवेश पर विचार करने को बुलाई गयी है । ऐसी बैठकों में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर भी विचार किया जाता है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या भारत राष्ट्रमंडलीय देशों के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन के लिये कार्य-सूची में कोई मद रखने का सुझाव देगा ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं बता चुकी हूं कि कोई कार्य-सूची नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ**: क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि कुछ राष्ट्रमंडलीय देशों ने, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, ब्रिटेन के प्रधान मंत्री से बातचीत का वही तरीका शामिल करने का

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुरोध किया है जो ब्रिटेन ने योरोपीय साझा बाजार के अन्य सदस्यों के साथ किया था और यदि हां, तो उन राष्ट्रमंडलीय देशों की इस प्रार्थना पर हमारी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं समझती हूं कि इन बातचीतों के बारे में माननीय सदस्य मेरे से ज्यादा जानते हैं। मुझे पता नहीं है कि अन्य देशों ने ब्रिटेन को क्या सुझाव दिये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री श्री नारायण दास ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या मैं अपने अनुपूरक प्रश्न के उत्तर से सम्बन्धित एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैंने श्री श्रीनारायण दास का नाम पुकारा है। यदि समय रहा तो मैं माननीय सदस्य का नाम बाद में पुकारूंगा ।

†**श्री श्री नारायण दास** : इस बैठक में प्रधान मंत्री जी अकेले शामिल होंगे या उनके साथ कुछ अन्य मंत्री भी जायेंगे ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : एक अन्य दिन दिये गये एक वक्तव्य में मैंने बताया था कि इस सम्मेलन में भाग लेने के लिये वित्त और व्यापार मंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है।

†**श्री त्यागी**: मैं समझ नहीं सका कि मंत्राणी महोदया ने कार्य-सूची के बारे में क्या कहा। क्या कार्य-सूची सभी प्रधान मंत्रियों को परिचालित नहीं की जाती ? क्या कार्य-सूची वहीं पर फौरन तैयार की जाती है ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन**: मैं दो बार बता चुकी हूं कि ऐसे सम्मेलनों के लिये कोई कार्य-सूची नहीं होती।

†**श्री त्यागी** : क्या उनकी बैठक बिना कार्यसूची के हो रही है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जी, हां।

†**श्री वासुदेवन् नायर** : क्या सरकार को पता है कि लन्दन में और अन्य स्थानों पर प्राथमिक स्कूलों में भारतीय बच्चों को बड़ी संख्या में प्रवेश करने से इन्कार कर दिया जाता है, और यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री जी इस मामले पर इंगलैण्ड के प्रधान मंत्री से बातचीत करेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह एक सुझाव है।

†**श्री वासुदेवन् नायर** : यह एक विशिष्ट प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय**: मैं ने कहा है कि यह एक सुझाव है। माननीय सदस्य का सुझाव है कि प्रधान मंत्री जी इस मामले को उठायें।

†**श्री वासुदेवन् नायर**: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री जी इस प्रश्न को उठायेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उसके लिये कोई 'एजेन्डा' नहीं है और इसलिये इस समय विचारों के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता।

†**श्री नाथ पाई** : ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था कि राष्ट्रमंडलीय देशों के प्रधान मंत्रियों की बैठक ब्रिटेन के बाहर की जाये परन्तु एक ऐसा आश्वासन सा था कि अन्य सदस्य-राष्ट्रों को भी

---

†मूल अंग्रेजी में

बराबर का भागीदार बनाने के लिये अन्य राजधानियों में भी बैठकें की जायें ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या विशेषत: प्रधान मंत्री जी के स्वास्थ्य को देखते हुए भारत सरकार ने दिल्ली में बैठक करने का प्रस्ताव किया था और यदि हां, तो इस पर ब्रिटेन की सरकार ने क्या उत्तर दिया ? हम हमेशा लन्दन ही क्यों जायें ? यह तो एक प्रकार से ब्रिटिश सरकार की वरिष्ठता मानना है ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : ऐसा कोई प्रश्न नहीं है . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा कोई सुझाव दिया गया था कि बैठक दिल्ली में की जाये ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जी, नहीं । हम ने कोई सुझाव नहीं दिया ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या ब्रिटेन सरकार चर्चा के स्वरूप अथवा कार्य-सूची में शामिल की गयी उन मदों, जो उन्हें अन्य राष्ट्रमंडलीय देशों द्वारा समय समय पर सुझायी जाती हैं, के बारे में हमें सूचित नहीं करती ?

†**श्री नाथ पाई** : इस प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं दिया गया ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं तीन बार बता चुकी हूं कि ऐसी बैठकों के लिये कोई एजेन्डा (कार्य-सूची) नहीं होता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : नियमित एजेन्डा न हो; परन्तु माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या प्रधान मंत्रियों के बीच कोई औपचारिक बातचीत हुई कि किन किन विषयों पर चर्चा होगी ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं बता चुकी हूं कि यह बैठक मुख्यत: योरोपीय साझा बाजार में ब्रिटेन के शामिल हो जाने के फलस्वरूप स्थिति पर विचार करने के लिये बुलाई गयी है । ऐसी बैठकों में वे विश्व की स्थिति पर भी विचार करते हैं और सम्बन्धित पक्षों के हितों के अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर भी विचार किया जाता है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या ब्रिटेन में हाल ही में पारित आप्रवर्जन अधिनियम पर भी विचार किया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जब कि कोई एजेन्डा ही नहीं है, तो क्या कहा जा सकता है कि वहां पर क्या होगा ?

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या भारत सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि ये सम्मेलन हमेशा लन्दन में ही क्यों किये जाते हैं . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य बार बार वही प्रश्न क्यों उठा रहे हैं । उस प्रश्न का कई बार उत्तर दिया जा चुका है । अगला प्रश्न ।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं आप से एक जानकारी चाहता हूं । प्रधान मंत्री के खराब स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए क्या आप उनको लन्दन जाने का परामर्श देते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे से कभी परामर्श नहीं लिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ट्रांजिस्टर रेडियो

+

†*२३५. { श्री सुबोध हंदसा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक भारतीय फर्म को एक जापानी फर्म के सहयोग से ट्रांजिस्टर रेडियो बनाने के लिये लाइसेंस दिया गया है;

(ख) क्या इस फर्म ने ट्रांजिस्टरों का निर्माण आरम्भ कर दिया है; और

(ग) यह फर्म इन रेडियो के निर्माण में कितने प्रतिशत देशी पुर्जे काम में ला रही है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) से (ग). जी, नहीं।

†श्री सुबोध हंसदा : क्या सरकार किसी अन्य विदेशी सहयोग से भी ट्रांजिस्टर रेडियो बनायेगी ?

†श्री कानूनगो : जी, नहीं ।

†श्री स० चं० सामन्त : ट्रांजिस्टर रेडियो के हिस्सों का आयात करने के लिये अनुमति पाने के लिये अब तक कितने गैर-सरकारी सार्थों ने सरकार से कहा है और क्या उन्हें आयात करने की अनुमति दे दी गयी है ?

†श्री कानूनगो : जी, हां। रेडियो के हिस्सों, वाल्व और ट्रांजिस्टर दोनों, के आयात के लिये विदेशी मुद्रा के आवंटन में से ५० प्रतिशत पर ट्रांजिस्टर का आयात हो सकता है।

†श्री हेडा : श्री स० चं० सामन्त के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है कि कितनी भारतीय फ़र्मों को ट्रांजिस्टर रेडियो बनाने के लाइसेंस दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त मैं यह जानना चाहता हूं कि इन में से अधिकांश फर्में समूचा रेडियो बनाने की अपेक्षा हिस्सों का आयात करने में अधिक इच्छुक है। अतः क्या इन फर्मों के लिये सरकार का कोई निर्धारित कार्यक्रम है ?

†श्री कानूनगो : ये फर्में रेडियो पुर्जे जोड़ कर बना रही हैं। वे पहले वाल्व टाइप के रेडियो बना रही थीं। अब सरकार ने उनको अपनी आयात के ५० प्रतिशत तक ट्रांजिस्टर का सामान आयात करने की अनुमति दी है। वे पुर्जे जोड़ रहे हैं। समूचे रेडियो के निर्माण के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आये हैं।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या भारत इलक्ट्रोनिक्स ने भी ट्रांजिस्टर सेट बनाना आरम्भ कर दिया है ? यदि हां, तो क्या वे ऐसा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के परामर्श से कर रहे हैं ?

†श्री कानूनगो : जी, नहीं। भारत इलक्ट्रोनिक्स के साथ ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

†श्री श्याम लाल सर्राफ : हम पूरे ट्रांजिस्टर सेट का निर्माण कब तक कर सकेंगे ?

†श्री कानूनगो : मूल सामान के निर्माण में काफ़ी समय लगेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

कपास का आयात

+

†*२३६. { श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री रघूनाथ सिंह :
श्री अ० सिं० सहगल :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कपास की अनुलिखित मात्रा का एक रक्षित स्टाक, जो अगले वर्ष काम में लाया जायेगा, बनाने के लिये उत्सुक है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने पी०एल० ४८० कार्यक्रम के अन्तर्गत या भारतीय मैंगनीज अयस्क के बदले में कपास प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगाने के उद्देश्य से अमरीकी सरकार के साथ बातचीत शुरू कर दी है: और

(ग) इस समय मामला किस स्थिति में है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनूभाई शाह):** (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

चालू मौसम (१ सितम्बर, १९६१--३१ अगस्त, १९६२) की फसल खराब होने के कारण मौसम के अन्त में भंडार के अगले वर्ष के लिये रखने की मात्रा मौसम के आरम्भ मे भंडार से काफी कम होगी। अपेक्षित स्तर तक भंडार बनाने के लिये और चालू मौसम मे संभरण में वृद्धि करने के लिये, सरकार ने विदेशी रुई की ६.५ लाख गांठों के आयात की व्यवस्था की है और अतिरिक्त मात्रा के आयात की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है। अपेक्षित मात्रा में विदेशी रुई प्राप्त करने के लिये सरकार विभिन्न संसाधनों पर विचार कर रही है जिसमें से पी० एल० ४८० सहायता कार्यक्रम भी एक है। सहायता कार्यक्रम के अधीन आवंटन करने के लिये अमरीकी अधिकारियों से वार्ता चल रही है। तथापि, मैंगनीज अयस्क का निर्यात करके अमरीकी रुई के आयात का कोई विशिष्ट स्ताव नहीं है।

†**श्री स० चं० सामन्त :** विवरण से पता चलता है कि विदेशी रुई की अपेक्षित मात्रा प्राप्त करने के लिये सरकार के पास कई संसाधन हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि पी० एल० ४८० के अतिरिक्त वे संसाधन क्या हैं ?

†**श्री मनूभाई :** हम वस्तु-विनिमय के आधार पर, विश्व टेंडर द्वारा खरीद कर रहे हैं। हम रूस, मिश्र और पूर्व अफ्रीकी देशों से भी खरीद कर रहे हैं।

†**श्री स० चं० सामन्त :** उन देशों के क्या नाम हैं जिनके साथ हमारी वस्तु-विनिमय की व्यवस्था है ?

†**श्री मनूभाई शाह :** अधिकांशतः पये में भुगतान करने वाले देशों के साथ कुछ अन्य पक्षों के साथ भी यह व्यवस्था है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्रीनारायण दास :** मिश्र से आयात की गयी और अमरीका से आयात की गयी रूई के मूल्यों में क्या अन्तर है ?

†**श्री मनूभाई शाह :** रेशे की लम्बाई और किस्म देश देश में भिन्न भिन्न होती है और इसलिये मूल्य भी भिन्न होते हैं। हम वहां से खरीदते हैं जहां से हमें सर्वोत्तम और बढ़िया किस्म का माल और सस्ते दामों पर मिले ।

†**श्री हेम बरुआ :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय सूती मिलों को ५५–५६ लाख गांठ रुई की जरूरत है, कितने प्रतिशत कमी का आयात किया जायेगा ?

†**श्री मनूभाई शाह :** कमी लगभग १० लाख गांठ की है। यह २० प्रतिशत होता है।

†**श्री उमा नाथ :** क्या मिल मालिकों को, जब तक वे भारतीय रुई की अपेक्षा अमरीकी 'ख' श्रेणी की रुई ऊंचे भाव पर न खरीदें, अब भी भारतीय रुई के भावी अभ्यंश देने से इंकार किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मनूभाई शाह : जी, नहीं ।

पाकिस्तान द्वारा वीसा दिया जाना

†*२३७. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान ने विभिन्न प्रकार के वीसा देने पर जो प्रतिबन्ध लगा रखे हैं उनके बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या पाकिस्तान ने पहले जो रुख अपनाया था उसमें कोई परिवर्तन हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिवर्तन हुआ है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) पाकिस्तान सरकार द्वारा अपनायी गयी प्रतिबन्ध वाली नीति जारी है।

(ख) पाकिस्तान के इस रवैये में किसी परिवर्तन का हमें पता नहीं है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** इस बारे में अन्तर की प्रमुख बातें क्या हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** अन्तर की बात यह है कि जबकि हम वीसा देने में उदार हैं, पाकिस्तान नहीं है। उदारता दिखाने के स्थान पर वे व्यक्तियों के आने जाने पर और प्रतिबन्ध लगा रहे हैं।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या वीसा देने के बारे में कोई और प्रतिबन्ध भी लगाये गये हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** जी, हां। ७ अगस्त, १९६० को दिये गये उत्तर में हम कह चुके हैं कि पाकिस्तान सरकार ने भारत के लिये पासपोर्ट देने के लिये १०० रुपये की नकद जमानत की पद्धति लाग की है। फिर वीसा की 'क' 'ख' तथा 'ग' श्रेणियों पर यात्रा करने पर भी प्रतिबन्ध लगे हैं। उदाहरणत: यदि कोई व्यक्ति 'ग' वीसा पर यात्रा करता है तो उसको उस पत्री वर्ष में और वीसा नहीं दिया जाता और भी कई प्रतिबन्ध हैं। फिर वहां पर वीसा देने पर भी प्रतिबन्ध लगे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या इस बारे में अपने विचार बताते हुए पाकिस्तान से हाल ही में कोई पत्र प्राप्त हुआ है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : उनका कहना है कि विदेशी मुद्रा बचाने के ख्याल से वे लोगों को यात्रा करने के लिये प्रोत्साहित नहीं करना चाहते ।

†**श्री ह० प० चटर्जी** : क्या ये प्रतिबन्ध नेहरू-लियाकत समझौते के विरुद्ध नहीं है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जी, हां । माननीय सदस्य ठीक कहते हैं । यह प्रतिबन्ध करार के विरुद्ध हैं ।

†**श्रीमती रेणू चक्रवर्ती** : पिछले छः महीनों में भारत द्वारा जारी किये गये वीसा और पाकिस्तान द्वारा जारी किये गये वीसा की क्या संख्या है ? हमने जो वीसा जारी किये, क्या उनकी संख्या पाकिस्तान द्वारा जारी किये गये वीसा की संख्या से अधिक है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यदि माननीय सदस्या जानना चाहें, तो मैं इस वर्ष के प्रथम तीन महीनों के लिये आंकड़े बता सकती हूं ।

†**श्रीमती रेणू चक्रवर्ती** : जी, हां ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : ये पाक्षिक आंकड़े हैं :

अवधि	पश्चिम बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान	पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल
जनवरी का प्रथम पखवाड़ा	४६७१	७२४६
जनवरी का दूसरा पखवाड़ा	५४७७	८७९३
फरवरी का प्रथम पखवाड़ा	४७०१	८५०७
फरवरी का दूसरा पखवाड़ा	३९६६	७१२५
मार्च का प्रथम पखवाड़ा	६२९४	१०३३५

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न । श्री विभूति मिश्र ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : श्रीमन्, मैं जानना चाहती हूं . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : आंकड़े दिये जा चुके हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं रद्द किये गये आवेदन-पत्रों की प्रतिशतता जानना चाहती हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह मुझे मजबूर न करें ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है ।

†मूल अंग्रेजी में

भारत-अर्जेन्टाइना व्यापार सम्बन्ध

*२३८. **श्री विभुति मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अर्जेन्टाइना में मार्च, १९६२ के महीने में जो शासन में परिवर्तन हुआ है उसका भारत और अर्जेन्टाइना के व्यापारिक एवं अन्य सम्बन्धों पर क्या असर पड़ा है ; और

(ख) क्या भारत सरकार ने नई सरकार को मान्यता दे दी है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) अर्जेन्टाइना में हाल में सरकार के बदल जाने से भारत और अर्जेन्टाइना के बीच व्यापार अथवा सम्बन्धों पर कोई असर नहीं पड़ा है ।

(ख) जी, हां ।

श्री विभुति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि जब ट्रेड पर कोई असर नहीं पड़ा है तो ट्रेड कुछ बढ़ा है या नहीं बढ़ा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि क्या व्यापार में कुछ वृद्धि हुई है ।

†**श्रीमती लक्ष्म मेनन** : जी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या सैनिक क्रान्ति के बाद अर्जेन्टाइना की नई सरकार ने पिछले वर्ष, जब राष्ट्रपति फ्रोन्दिजी भारत में थे, की गयी भारत-अर्जेन्टाइना व्यापार संधि को मानने का-आश्वासन दिया है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : भारत और अर्जेन्टाइना के बीच कोई व्यापार सन्धि नहीं हुई है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : व्यापार-करार ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : भारत और अर्जेन्टाइना के बीच कोई व्यापार करार नहीं है ।

पटसन मजुरी बोर्ड की सिफारिशें

†*२३९. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या श्रम और रोजगार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन मजूरी बोर्ड ने अन्तरिम सहायता देने की जो सिफारिश की है उसे कानपुर और सौजनेवा स्थित मिलों में अब तक लागू नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) मिल मालिकों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो लेख-याचिका दायर की थी क्या वह खारिज कर दी गई है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार से मांगी गयी है । उनका उत्तर प्रतीक्षित है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : पटसन मजूरी बोर्ड द्वारा सिफारिश की गयी अन्तिम सहायता लागू की जानी थी । इसके विरुद्ध कानपुर के मालिकों ने एक लेख-याचिका दायर कर दी और वह रद्द हो गई

---

†मूल अंग्रेजी में

अप्रैल के प्रथम सप्ताह में समाचार-पत्रों में यह छपा था। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि जानकारी कब उपलब्ध होगी ?

†**श्री हाथी** : मैंने भी समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि लेख याचिका रद्द हो गई है। हमने उत्तर प्रदेश सरकार से निर्णय की एक प्रति भेजने को और यह बताने को कहा है कि उन्होंने उसके बाद क्या कार्यवाही की है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जैसे ही यह प्राप्त होगी, यह माननीय सदस्य को भेज दी जाये।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या मालिकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच ऐसा कोई समझौता हो गया है कि यह रकम पांच किश्तों में दी जाये, और यदि हां, तो किश्त क्यों निर्धारित की गयी है ?

†**श्री हाथी** : राज्य सरकार मामले में जोर दे रही है। परन्तु यह बात नहीं कहूंगा जब तक कि उत्तर प्रदेश सरकार से जानकारी प्राप्त न हो जाये।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, सरकार पटसन कर्मचारियों को और अन्तरिम सहायता देने के बारे में मजूरी बोर्ड और पश्चिम बंगाल जूट मिल्स के मालिकों को परामर्श देगी ?

†**श्री हाथी** : मजूरी बोर्ड को सहायता देने और मजूरी ढांचा निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया है। उन्होंने अन्तरिम सहायता दी है। अन्तिम परिणामों में हम यह देखेंगे कि ये क्या सिफारिश कर रहे हैं।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : उसमें और वृद्धि हुई है . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। श्री बनर्जी।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस रकम का भुगतान करने के लिये, जिसके बारे में निर्णय किया जा चुका है, मालिकों पर जोर डालेगी, और मजूरी बोर्ड की कार्यवाही चलती रहेगी। क्या मन्त्री महोदय अपना दबाव डालेंगे ?

†**श्री हाथी** : उत्तर प्रदेश सरकार मामले में जोर दे रही है।

कोयला उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड

†*२४१. { **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २३ मार्च, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उद्योग के लिये इस बीच मजूरी बोर्ड गठित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस के सदस्य कौन हैं ; और

(ग) इस बोर्ड के विशिष्ट निदेशपद क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार मंत्रोलय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). मजूरी बोर्ड का गठन तथा उस के निर्देश पदों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि जूट, रबड़ तथा तीन अन्य वस्तुओं के मजूरी बोर्ड के सभापति पुनः मजूरी बोर्ड के सभापति बनाये जा रहे हैं ? यदि हां तो क्या केवल एक ही व्यक्ति इस काम के लिये रह गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस का उत्तर पहले दिया जाये ।

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)**: मैं समझता हूं कि उन्हों ने अभी तक यह निर्णय नहीं किया है कि इस बोर्ड का सभापति कौन हो । परन्तु हमें इस बात पर निश्चित रूप से ध्यान देना है कि एक ही आदमी को कई बोर्डों का सभापति बनाया जाये अथवा हमें और मजूरी बोर्ड भी बनाने चाहियें या नहीं । उपयुक्तता के प्रश्न पर विचार होना है । मैं समझता हूं कि इस के बारे में बहुत से अनुभवी लोग हमारे पास नहीं हैं और वह इस काम के लिये उपयुक्त हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या मजूरी बोर्ड का गठन करने के लिए आई एन टी यू सी, ए आई टी यू सी तथा अन्य संगठनों की सदस्यता पर ध्यान दिया जायेगा तथा क्या आई एन टी यू सी के आंकड़े बढ़े चढ़े होने के कारण ए आई टी यू सी का दावा अस्वीकार नहीं होगा ।

†**श्री नन्दा** : विभिन्न संगठनों की शक्ति के आधार पर इस का गठन होता है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच है कि सरकार ने कोयला मजूरी बोर्ड के निर्देश पद बनाते समय यह निर्णय किया था कि कोयले के वर्तमान मूल्यों के अलावा मजूरी बढ़ाने पर विचार नहीं किया जायेगा ?

†**श्री नन्दा** : यदि हम वर्तमान मूल्यों तक ही सीमित रहते हैं तो मजूरी बोर्ड स्थापित करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है । मजूरी बोर्ड अपनी सिफारिशें देने को स्वतंत्र है ।

†**श्री ओझा** : एक ही व्यक्ति के कई मजूरी बोर्डों का सभापति होने के कारण क्या उस के काम पर कोई बुरा असर पड़ा है ।

†**श्री हाथी** : जी नहीं । कोई बुरा असर नहीं पड़ा है ।

श्री आ० प्र० शर्मा : कोल इंडस्ट्री के वेज बोर्ड में ए० आई० टी० यू० सी० का भी नामिनेशन पाने का क्या कोई क्लेम है ?

†**श्री हाथी** : यह दावे का प्रश्न नहीं है । जैसाकि मेरे वरिष्ठ साथी ने बताया, हम संघों के प्रतिनिधियों पर विचार करते हैं ।

केन्द्रीय आवास बोर्ड

†*२४३. **श्री बासप्पा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आवास बोर्ड गठित कर दिया गया है ; और

(ख) इस बोर्ड का गठन किस विशिष्ट प्रयोजन के लिये किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** :(क) अभी नहीं ।

(ख) खुलासा तौर पर मूलभूत उद्देश्य यह होंगे :—

(१) आवास कार्यक्रम को बढ़ाने के लिये अंशों, निक्षेपों, ऋणपत्रों द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र से अतिरिक्त रकम व्यवस्था करना ।

(२) आवास कार्यों को बढ़ाना तथा आवास में गिरवी बाज़ार बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करना ; और

(३) बोर्ड को केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई रकम तथा इस के द्वारा स्वयं एकत्रित की गई अतिरिक्त रकम का आवास के लिए ठीक तरह से तथा पूरी तरह से उपयोग हुआ है अथवा नहीं इस का पता लगाना ।

†**श्री बासप्पा** : क्या जीवन बीमा निगम अपने ऋण मकानों के निर्माण के लिये केन्द्रीय आवास बोर्ड के द्वारा देगा तथा क्या केन्द्रीय बोर्ड राज्य आवास बोर्डों की सहायता करेगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : अभी आवास बोर्ड नहीं बनाया गया है । हम मामले पर विचार कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आगामी कुछ महीनों में हम अन्तिम निर्णय कर सकेंगे । मैं समझता हूं कि जीवन बीमा निगम तीसरी योजना में आवास के लिए ६० करोड़ रुपया दे चुका है । यह १४० करोड़ रुपये जो दिये जा चुके हैं, से अतिरिक्त है । कुल मला कर २०० करोड़ रुपये हो जाते हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यह मकान किस किराये तक के बनेंगे तथा इन को किस श्रेणी के लोगों को दिया जायेगा ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : नगरीय तथा ग्राम्य क्षेत्रों में कम कीमत के मकान बनाने का विचार है । अभी तक ब्यौरा नहीं बनाया गया है ।

श्री म० ला० द्विवेदी: मैं यह जानना चाहता हूं कि जो केन्द्रीय हाउसिंग बोर्ड बन रहा है, उस में राज्यों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से कोई वार्तालाप या लिखा-पढ़ी की है । यदि हां, तो किन किन राज्यों से उत्तर पक्ष में आये और किन किन से विपक्ष में?

श्री मेहरचन्द खन्ना: बाज़ राज्य सरकारों में हाउसिंग बोर्ड बन भी चुके हैं । मरकज़ में अभी तक नहीं बना है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं केन्द्रीय बोर्ड की बात कह रहा हूं ।

अध्यक्ष महादय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं क क्या केन्द्रीय बोर्ड के बारे में राज्य सरकारों से कोई खतो-किताबत हुई है ।

श्री मेहरचन्द खन्ना: जैसाकि मैं ने अभी कहा है, बाज़ राज्य सरकारों में तो हाउसिंग बोर्ड भी बन चुके हैं, लेकिन केन्द्रीय बोर्ड अभी तक बना नहीं है । अगर हम ने केन्द्रीय बोर्ड बनाया, तो ज़रूरी बात है कि उस का सम्बन्ध राज्य सरकारों से होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री म० ला० द्विवेदी: मेरा प्रश्न यह था कि जो केन्द्रीय बोर्ड बन रहा है, क्या उस में राज्यों के प्रतिनिधि रहेंगे, उन का इस बोर्ड का से क्या सम्बन्ध रहेगा और क्या इस बारे में उन के साथ लिखा-पढ़ी की गई है। यदि हां, तो उस का क्या फल निकला है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : जब केन्द्रीय बोर्ड बनेगा, तो जरूरी बात है कि उस का और राज्य सरकारों का आपस में सम्बन्ध होगा।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार :** जीवन बीमा निगम ने किन शर्तों पर इस काम के लिए १६ करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना :** मैं केवल यादगार से बता रहा हूं। मैं समझता हूं कि ऋण ६० करोड़ रुपये का है तथा १६ करोड़ रुपये का नहीं है। इस का भुगतान दीर्घकाल की अवधि में होगा और इस पर ४ अथवा ५ प्रतिशत ब्याज लिया जायेगा। यदि माननीय सदस्य कोई विशिष्ट जानकारी चाहते हैं तो कृपा कर के मुझे लिखें और मैं प्रसन्नता से वह जानकारी उन्हें दूंगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या मंत्रालय ने केन्द्र सरकार की विभिन्न आवास योजनाओं का पुनरीक्षण किया है और लोगों द्वारा किराया न दिया जाने के कारण इन में से कितने बेकार पड़े हैं तथा क्या केन्द्रीय आवास बोर्ड, योजना आरम्भ करने से पहले किराये के प्रश्न का ध्यान रखेगा जिस से लोग इस का उपयोग कर सकें।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस को अन्तिम रूप दिया जाने दो। यह समय इस पर विचार करने का नहीं है। अभी तक इस के ब्योरों पर विचार नहीं किया गया है।

†**श्री मेहरचन्द खन्ना :** प्रश्न के पिछले भाग के सिलसिले में मैं सब कुछ पहले ही बता चुका हूं। प्रश्न के पहले भाग के उत्तर में मैं बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य कृपया ३६ पृष्ठ की उस पुस्तिका को देखें जो उन में परिचालित कर दी गई है। उस में विभिन्न आवास योजनाओं का पूरा ब्योरा दिया हुआ है कि वह किस सीमा तक क्रियान्वित हुई है तथा विभिन्न राज्यों को इस लिए कितना धन दिया गया है।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** यह केन्द्रीय आवास बोर्ड योजना आयोग से अलग काम करता है अथवा यह योजना आयोग का एक अंग है ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना :** यह निर्माण, आवास, संभरण मंत्रालय के अधीन होगा तथा इस के स्थापित होने पर योजना आयोग का अवश्य परामर्श लिया जायेगा।

†**श्री शिवचरण गुप्त :** क्या केन्द्रीय आवास बोर्ड संघ क्षेत्रों की समस्याओं पर भी ध्यान देगा अथवा संघ क्षेत्रों के लिए अलग से आवास बोर्ड बनाया जायेगा ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना :** मैं भी दिल्ली से ही चुना गया हूं। मैं इस का ध्यान रखूंगा कि दिल्ली भी शामिल हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

जापान को नमक का निर्यात

+

†*२४४. { **श्री म० रं० कृष्ण :**
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **वाणिज्य** तथा **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जापान की सरकारों के बीच जापान को भारतीय नमक का संभरण करने के लिये कोई करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य शर्तें क्या हैं ; और

(ग) इस करार के अन्तर्गत जापान को प्रतिवर्ष कितना नमक निर्यात किये जाने की संभावना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) राजकीय व्यापार निगम ने जापान को नमक बेचने के लिये हाल ही में एक करार किया है ।

(ख) और (ग), लगभग २५०,००० मीट्रिक टन नमक प्रति वर्ष इस करार के अधीन जापान भेजा जायेगा । किस्म घटिया समुद्रीय नमक होगा जिस में ९४ से ९५ प्रतिशत तक नैकल स्टैंडर्ड होंगा ।

†**श्री म० रं० कृष्ण** : क्या यह सही है कि जापान भी पाकिस्तान से नमक का आयात कर रहा है और यदि हां, तो वे इस के क्या दाम दे रहे हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वे कुछ मात्रा में हम से खरीदना चाहते हैं। वे दोनों देशों से खरीदते हैं ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या यह दीर्घकालीन करार है या अल्पकालीन ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह दीर्घकालीन करार है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : जो कीमत जापान पाकिस्तान सरकार को नमक की दे रहा है और जो वह भारत सरकार को दे रहा है, इन दोनों कीमतों में कितना अन्तर है और भारत सरकार का नमक कुछ लाभ में बिक रहा है या घाटे में बिक रहा है ?

श्री मनुभाई शाह : ज्यादातर बहुत थोड़ा हम से ही खरीदते हैं क्योंकि वहां पर राक साल्ट की इतनी मांग नहीं है जितनी मैरीन साल्ट की है । इसलिए हमारा एग्रीमेंट ही बड़ा है ।

श्री का० रा० गुप्त : जो आपका नमक है यह सांभर नमक है या कोस्टल नमक है ? और क्या . . .

श्री मनुभाई शाह : मैरीन साल्ट है, सांभर का नमक वे नहीं खाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । जब एक मैम्बर साहब सवाल कर लें तो फिर अपनी जगह पर बैठ जायें ताकि वज़ीर साहब खड़े होकर जवाब दे सकें । वे अपनी जगह पर खड़े न रहें ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : इसमें कितना नमक खाने के लिये और कितना औद्योगिक कामों के लिये है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह अधिकतर खाने वाला नमक है । हमें बताया गया है कि वे इसका अग्रेतर शोधन करके औद्योगिक कामों में इसका उपयोग करते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ओझा :** नमक की औद्योगिक कामों के लिये भी जरूरत होती है इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार कांडला से जापान को अन्तर्देशीय नमक का निर्यात करने की सम्भाव्यता का विचार करेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** कांडना शामिल है क्योंकि वहां समुद्रीय नमक है केवल खारगोडा और सांभर के नमक ही वहां नहीं बिकते, क्योंकि जैसा कि माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं, इन नमकों का मूल्य समुद्रीय नमक की अपेक्षा बहुत अधिक है । हम आन्तरिक उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं और जापान सरकार तथा जापानी आयातकों को और प्रेरणा के द्वारा जापान को अपना निर्यात दुगुना करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** अन्यत्र जो दाम हैं उन की तुलना में देश में क्या दाम हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह सर्वथा भिन्न है, क्योंकि आन्तरिक दाम का अधिक सम्बन्ध नहीं है। मैं वह दाम भी बताना नहीं चाहता जिस पर हम जापान को इसका निर्यात करते हैं।

निर्यात को बढ़ावा देना

†*२४५. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों और संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करने के लिये कदम उठाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) उनका क्या परिणाम निकला ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). जी ए टी टी और इकेफ दोनों, जिनका भारत सदस्य है, कम विकसित देशों के उत्पादों को उद्योगोकृत देशों के बाजारों में अधिक पहुंच करवाने की दृष्टि से संकल्प पारित किये हैं। जी ए टी टी के तत्वावधान में हुई प्रशुल्क सम्बन्धी बातचीतें भी सहायक रही हैं ।

संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके विशेषीकृत अभिकरणों का ध्यान भारत से निर्यात के लिये उपलब्ध और उनके विभिन्न कार्यक्रमों के सम्बन्ध में उपयोग होने वाली चीजों की ओर दिलाया गया है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या ये उपाय राजकीय व्यापार निगम द्वारा किये जा रहे हैं और यदि हां तो क्या इस बारे में कोई आपत्ति की गई है कि राजकीय व्यापार निगम निर्यात व्यापार न करे और यदि हां तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** राजकीय व्यापार निगम विदेश व्यापार बढ़ाने का अनिवार्य अंग है, किन्तु यह बिल्कुल अकेले किस्म का संगठन नहीं है । बहुत बड़ा व्यापार करना पड़ता है । वास्तव में ९५ प्रतिशत व्यापार इस निगम के बाहर होता है। अतः प्रत्येक अभिकरण को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में आने दिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प० चं० बरुआ:** चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का एक विभाग स्थापित किया जा चुका है, क्या हमारा निर्यात बढ़ाने के लिये राजकीय व्यापार निगम के अतिरिक्त और भी कोई अभिकरण है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मूल प्रश्न सर्वथा भिन्न है विदेशी व्यापार बढ़ाने के लिये हम किस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अभिकरणों का लाभ उठा रहे हैं । जैसा कि सभा को विदित है, जो ए टी टी और ईकैफ इस काम के लिये दो मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय निकाय हैं। जहां तक विदेशी व्यापार बढ़ाने का सम्बन्ध है, यह विभिन्न अभिकरणों के द्वारा दिया जाता है जिनमें राजकीय व्यापार निगम शामिल है ।

†**श्री हेम बरुआ :** यूरोपीय साझा बाजार में इंगलिस्तान के शामिल हो जाने के कारण, क्या यह सही है कि इसका हमारे सूती वस्त्रों के निर्यात पर खास कर अधिक बुरा प्रभाव पड़ेगा और यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कार्रवाई कर रही है और क्या ये दो अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण हमारे सूती वस्त्रों के लिये बाजार ढूढेंगे ताकि निर्यात बढ़ाया जा सके ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जैसा कि मुझे इसका कई बार स्पष्टीकरण करने का मौका मिला है, हमें यूरोपीय साझा बाजार में इंगलिस्तान के शामिल हो जाने पर अत्यधिक खेद है और हमने वस्तु वार अध्ययन किया है । हमने अपने विचार रखे हैं और लगातार इंगलिस्तान के सामने तथा अन्य देशों के सामने अपने विचार बातचीत में प्रस्तुत किये हैं कि इससे हमारे विदेश व्यापार पर क्या बुरे और अन्य प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे । इसलिये भी हम स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि यदि इंगलिस्तान और यूरोपीय साझा बाजार में अन्तिम रूप में करार हो गया तो इंगलिस्तान तथा अन्य छः देशों के साथ हमारे सम्बन्धों की क्या शर्तें और निबन्धन होंगे ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या भारत के कुछ स्थानों से खराब माल के निर्यात के बारे में कतिपय विदेशी आयातकों की ओर से कोई शिकायत प्राप्त हुई है, जैसा कि कुछ वर्ष पहले थी, जो पहले भेजे गये नमूनों से गुण प्रकार में भिन्न होती है ?

†**श्री मनुभाई शाह:** धोखेबाजी का व्यापार निस्संदेह बुरी चीज है और हम इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। ऐसी बात नहीं कि भारत का व्यापार ऐसा ही है। कभी कभी स्टैंडर्ड से घटिया कुछ माल बाहर चला जाता है और हमें उसका खेद है । मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि मानक बनाये रखने और गुण प्रकार पर नियंत्रण करने पर भविष्य में आग्रह किया जाए ताकि देश भर में अधिक से अधिक वस्तुएं इनके क्षेत्राधिकार में आ जाएं ।

हैवी इलेक्ट्रिकल्ज प्लांट, भोपाल में औद्योगिक सम्बन्ध

†*२४६. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की मध्य प्रदेश शाखा के महासचिव के उस वक्तव्य की ओर गया है जिस में सम्बन्धित अधिकारियों से भोपाल स्थित हैवी इलेक्ट्रिकल्ज प्लांट में औद्योगिक सम्बन्ध और उनके लिये की जाने वाली कार्यवाही के समचे मामले के बारे में निष्पक्ष जांच करने का अनुरोध किया गया है ; और

(ख) क्या इस मांग पर कोई कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) :** (क) और (ख). जी, हां । यह विचार किया गया है कि श्रम मंत्रालय के मूल्यांकन तथा कार्यान्विति प्रभाग द्वारा भारी इलैक्ट्रिकल्ज़ समिति में औद्योगिक सम्बन्धों का अध्ययन किया जाए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या यह सही है कि जब कि आई० एन० टी० यू० सी० यूनियन को त्रिदलीय करार के अनुसार शासकीय तौर पर मान्यता दी गई है, भारी इलैक्ट्रिकल्स कर्मचारी कार्मिक संघ के साथ भोपाल में श्रम सम्बन्धी विवादों का निपटारा अफसरों द्वारा किया जा रहा है और क्या इससे वहां के कर्मचारियों में बड़ा असन्तोष फैल गया है ?

†**श्री हाथी :** इन सब बातों की जांच इस प्रभाग द्वारा बाद में की जाएगी ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या यह सच है या नहीं ?

†**श्री हाथी :** जब तक हम मामले की जांच न कर लें, कोई मत नहीं दिया जा सकता ।

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) :** प्रबन्धक दोनों यूनियनों के साथ बातचीत कर रहे हैं ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** पिछली बार जब यह प्रश्न हड़ताल के समय उठा था, यहां पर यह कहा गया था कि इस कम्पनी के प्रबन्धकों ने अनुशासन संहिता स्वीकार कर लिया था । क्या उस अनुशासन संहिता के अधीन, जैसा कि ख्याल किया गया था, कोई शिकायत प्रक्रिया बाद में बनाई गई है और कार्यान्वित की गई है ?

†**श्री नन्दा :** मैं तुरन्त उत्तर नहीं दे सकता कि आया इस कम्पनी विशेष में शिकायत प्रक्रिया कार्यान्वित की गई है । किन्तु यह अनुशासन संहिता का एक अंग है और मैं समझता हूं कि इसमें ऐसा किया गया है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या यह सही है कि समझौता दूसरी यूनियन के साथ किया गया था, आई० एन० टी० यू० सी० यूनियन के साथ नहीं, क्योंकि आई० एन० टी० यू० सी० यूनियन लाभदायक नहीं थी और वह भोपाल की प्रतिनिधि यूनियन नहीं है ।

†**श्री नन्दा :** ये अनुमान हैं जिन्हें मैं मानने को तैयार नहीं । यह उस जांच पर निर्भर है जो हम करने जा रहे हैं ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** एक कार्मिक संघ को मान्यता देने का क्या परिणाम होता है ?

†**श्री नन्दा :** बातचीत, सामूहिक लाभ, समझौते करना—ये सब बातें मान्यता द्वारा प्राप्त होती हैं ।

श्री फिजो

†*२४७. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री ग्र० व० राघवन :
श्री द्वा० ना० तिवारी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व विद्रोही नागा नेता फिजो लन्दन से गायब हो गये हैं और अनुमान है कि वह पुनः नागालैंड में घुसने का प्रयत्न कर रहे हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है और क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) सरकार ने श्री फिजो के नागालैंड लौट आने के कथित इरादे के बारे में समाचारपत्रों में समाचार देखें हैं। हमारी सूचना के अनुसार वह थोड़ी अवधि के लिये लन्दन गया था और ३ अप्रैल, १९६२ को लौट आया है।

(ख) सरकार को आश्चर्य है कि यद्यपि श्री फिजो को उसकी अपनी प्रार्थना पर इंगलिस्तान की नागरिकता प्रदान की गई थी वह फिर भी विद्रोही नागाओं का नेता होने के अपने दावे की घोषणा करने का प्रयत्न कर रहा है ।

लन्दन स्थित हमारे उच्च आयोग ने इंगलिस्तान की सरकार को सूचित किया है कि फिजो को इंगलिस्तान की नागरिकता प्रदान किये जाने से उसे भारत में निर्बाध प्रवेश करने का हक नहीं मिलेगा जिसे वह इन्कार कर देता और यदि उसने भारत में प्रवेश करने का प्रयत्न किया तो हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या भारत सरकार ने फिजो के गायब हो जाने का मामला इंगलिस्तान की सरकार से उठाया है और क्या उसने वहां राजनीतिक शरण ली है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उत्तर दिया जा चुका है कि इंगलिस्तान की सरकार को सूचित किया जा चुका है कि एक बार उसने वहां की नागरिकता स्वीकार कर ली तो अब उसे अपने आप यहां आने का अधिकार नहीं है और यदि भारत में प्रवेश करने का प्रयत्न करेगा तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच है कि फिजो इस वक्त बर्मा में किसी जगह देखा गया है और .....

अध्यक्ष महोदय : आपने जवाब तो सुना ही नहीं । वह तो कहते हैं कि वह लन्दन वापस चला गया है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : लेकिन मेरी जो सूचना है मैं उसके मुताबिक पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप उनसे पूछना चाहते हैं और उनके पास जो सूचना है वह उन्होंने दे दी है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : वह इस तथ्य को गलत बताएं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तब तो यही चलता रहेगा । शान्ति, शान्ति । माननीय मंत्री के पास इस विषय पर जो सूचना थी वह दे दी गई है । यदि उसे गलत कहा जाएगा तो मंत्री को भी कहना होगा कि यह गलत है । हम कितनी देर तक ऐसा करते रहेंगे ?

†**श्री हेम बरुआ** : क्या विद्रोही नागाओं का नेता बनने के श्री फिजो के प्रयत्न का नागालेंड में विद्रोही नागाओं पर कोई प्रभाव है और यदि हां, तो उस प्रभाव का खंडन करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : नागा लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणुचक्रवर्ती:** : क्या सरकार का ध्यान **लन्दन टाइम्स** में एक पत्र की ओर दिलाया गया है जिस में कहा है कि हमारे वैमानिकों की रिहाई के बारे में जनरल करीअप्पा के साथ श्री फिजो का पत्र व्यवहार रहा है, यदि हां, तो क्या सरकार ने उस बात की ओर ध्यान दिया है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हमने समाचार देखा है। हमने इस की ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

†**श्री पु० र० पटेल** : इंगलिस्तान के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। एक विद्रोही को वहां की नागरिकता प्रदान की गई है। क्या इस विषय में कोई वि ोध पत्र भेजा गया है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : उसे भारतीय नागरिकता के आधार पर वहां की नागरिकता दी गई है ?

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या श्री फिजो ने पेशकश की थी कि वह नागा विद्रोहियों के कब्जे से हमारे वैमानिकों की रिहाई करवा देगा और क्या इंगलिस्तान से उसकी अस्थायी अनुपस्थिति का इस पेशकश से कोई संबंध है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : नहीं। हमें बताया गया था कि हमारे वैमानिक हमें २२ मार्च १९६२ को सौंप दिये जायेंगे, किन्तु तब से कुछ नहीं हुआ है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या श्री फिजो का इन्डियन एयरलाइन्स से कुछ संबंध था क्योंकि उस पत्र में कहा गया है कि उसी ने ओवजरवर के संवाददाता श्री गेविन यंग का नागालेंड भेजे जाने की व्यवस्था की थी ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह संभव है कि उसने श्री गेविन यंग को वहां भेजने का प्रबंध किया हो। उस का उन लोगों के साथ बर्मा के द्वारा संबंध हो सकता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : जैसा कि श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने पूछा है, क्या सरकार का ध्यान इंडियन प्रेस में हाल में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि श्री फिजो ने उस पकड़े गये व्यक्तियों के परिवार वालों को पत्र लिखा था कि उस का जनरल कैरीअप्पा से लगातार संबंध है और अग्रतर ब्योरा उससे प्राप्त किया जा सकता है, यदि हां, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रश्न जनरल कैरीअप्पा को पूछा गया है और तथ्य क्या है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जनरल कैरीअप्पा गैर सरकारी व्यक्ति है। यदि वह श्री फिजो को लिखता है, तो हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे और यह मालूम नहीं करेंगे कि उसने क्या लिखा है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार को यह बात मालूम है कि नागालैंड में यह धारणा चारों ओर फैली हुई है कि श्री फिजो, लन्दन से अस्थायी तौर पर अनुपस्थित है और उसका पता नहीं लगा है इसलिये नागालैंड लौट रहा है, यदि हां तो क्या सरकार विद्रोही नागाओं में या सामान्य तौर पर नागाओं में यह प्रचार करेगी कि श्री फिजो इस समय लन्दन में है। और वह लन्दन लौट रहा है क्योंकि अन्यथा यदि वह धारणा बढने दी गई तो उससे विद्रोही नागाओं पर गतिविधियां तेज हो जाएंगी ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : श्री फिजो इंग्लेंड में नहीं इस बात से लोगों को पता चलना चाहिये कि वह वहां नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : अब शायद आज का उत्तर उनको समझा देगा ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात का पता है कि जिस वक्त फिजो नागालैंड के बार्डर के आसपास आया था, तो उसका पीछा किया गया था, लेकिन वह भारतीय फौजों से भाग निकला ?

अध्यक्ष महोदय : अब इसका क्या फायदा होगा ?

श्री म० ला० द्विवेदी : इसमें कहां तक तथ्य है कि उसका पीछा किया गया था ?

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत छोटी तफसील है ।

†**श्री स० चु० जमीर** : पहले श्री फिजो नागालैंड में था और यह अपनी मर्जी से लन्दन गया और उसने इंगलिस्तान की नागरिकता स्वीकार कर ली । अतः इस मामले को समाप्त क्यों नहीं किया जाता ? यदि वह भारत आना चाहता है तो उसे आने दिया जाए । इस सभा में इस मामले की चर्चा करके हम उसे अनुचित महत्व दे रहे हैं जो आवश्यक नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्यार्थ सुझाव है ।

बैंक विवाद में पंचाट

†*२४८. **श्री नाथ पाई** : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंकों के विवाद के मध्यस्थ निर्णयन के लिए मार्च, १९६० में बनाये गये राष्ट्रीय औद्योगिक ट्रिब्यूनल के समक्ष हो रही कार्यवाही पूरी हो चुकी है ; और

(ख) पंचाट के कब तक घोषित किये जाने की संभावना है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां ।

(ख) जून १९६२ के मध्य तक ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : यदि पंचाट जून के मध्य तक आने की संभावना है तो क्या इस की संभावना है कि इसी क्षेत्र में इस सभा में उस पर चर्चा की जाएगी क्योंकि सत्र जून के अन्त तक होगा ?

†**श्री हाथी** : हमें बताया गया है कि वे १५ मई १९६२ तक रिपोर्ट तैयार कर लेंगे । अत : हमें बाद में इसके शीघ्र प्राप्त होने की आशा है और यदि समय हुआ हम सभा में इस की चर्चा कर सकते हैं । यह सभा पर निर्भर है ।

टिटागर पटसन मिल द्वारा काम बन्द कर देने का प्रस्ताव

†*२४९. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टिटागर पटसन मिल नं० १ ने अपना काम बन्द कर देने की अनुमति मांगी है ;

(ख) यदि नहीं, तो उत्पादन के सम्बन्ध में उस के नये प्रस्ताव क्या हैं ;

(ग) क्या इन प्रस्तावों का मिल के कर्मचारियों के सेवानियोजन पर कोई प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) इन प्रस्तावों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) यह पता कर लिया गया है कि मिल को बन्द करने के संबंध में अभी तक कोई प्रस्थापना पश्चिम बंगाल सरकार को प्राप्त नहीं हुई ।

(ख) से (घ). सवाल पैदा नहीं होता ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या हम यह समझें कि टीटागर पटसन मिल संख्या १ ने केन्द्रीय सरकार को मिल बन्द करने के अपने इरादे की कोई सूचना नहीं भेजी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अभी तक हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई । किन्तु माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं उनको अनौपचारिक तौर पर बता दूं कि हमें पता चला है कि वे हमसे प्रार्थना करने वाले हैं । अभी तक कोई प्रार्थना नहीं की गई ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या सरकार ने कोई उन मिलों की जांच की है जिनको इस पक्के वचन के साथ बंद किये जाने की अनुमति दी गई है कि अग्रेतर बेकारी नहीं होगी, चूंकि अधिकतर पटसन कर्मकर अस्थायी होते हैं और थोड़े समय के अन्दर ही उनकी छंटनी कर दी जाती है और मूल मजदूरों की संख्या में हजारों की कमी हो गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि काम करने के समय के करार के अन्दर प्राकृतिक छीजन को छोड़कर कोई छंटनी नहीं । इसके अतिरिक्त, माननीय सदस्य ने बहुत से दूसरे परस्पर मिले हुए सवाल उठाये हैं । मैं कह सकता हूं कि अभी तक कोई पटसन मिल बन्द नहीं हुआ है जिससे उत्पादन या रोजगार में कोई कमी हुई हो ।

†**श्री प्रिय गुप्त** : क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक तरफा कार्रवाई से, श्रम प्रतिनिधियों से परामर्श किये बिना, मिलों का बन्द किया जाना तालाबन्दी नहीं है और क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबंधों के अधीन तालाबन्दी की अनुमति है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह प्रश्न कई पूर्व धारणाओं पर आधारित है । पहले तो, उसने बन्द करने के लिये हमसे प्रार्थना नहीं की । काम करने के समय का समझौता भारतीय पटसन मिल संस्था में पिछले कई वर्षों से अच्छा चला है । हर बार बन्द करने का प्रस्ताव आता है, इसे केन्द्रीय और राज्य दोनों सरकारों को अनुमोदन करना होता है और यह इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि मजदूर विस्थापित न हो । काम करने का समय अन्य मिलों को बेच दिया जाता है रोजगार चलता रहता है और उत्पादन जारी रहता है ।

'शत्रु-सार्थ' और 'शत्रु-सम्पत्ति'[1]

†***२५०. श्री हरि विष्णु कामत : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अब भी 'शत्रु सार्थ' और 'शत्रु सम्पत्ति' को मान्यता प्रदान करती है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे 'शत्रु सार्थों' के क्या नाम हैं और 'शत्रु -सम्पत्ति' का क्या ब्यौरा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]'Enemy Firms' and 'Enemy Property',

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) . विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

भारत में अब कोई शत्रु फर्म नहीं । तथापि शत्रु सम्पत्ति का एक रक्षक है जो सम्पत्तियों का प्रशासन करता है जो मूलतः उन लोगों और फर्मों का है जो दूसरे विश्व युद्ध के समय 'शत्रु' थे ।

†**श्री हरिविष्णु कामत** : विवरण में दिया गया उत्तर १० अप्रैल के राष्ट्रपति के आदेश के सर्वथा प्रतिकूल है, जो भारत सरकार के कार्य आवंटन नियमों के सम्बन्ध में था, जिसमें वाणिज्य तथा उद्योग विभाग के अन्तर्गत "अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विभाग" उप लेखन का उपबन्ध था । राष्ट्रपति के उस आदेश के अनुसार "अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग" में एक उप-शीर्षक है, जिसमें निश्चित रूप से शत्रु के साथ व्यापार नियन्त्रण का उल्लेख किया है, मद संख्या १७ में शत्रु और शत्रु फर्मों के साथ व्यापर के नियन्त्रण और शत्रु सम्पत्ति की अभिरक्षा का उपबन्ध है । मा० मन्त्री इस भेद का कैसे ठीक कर सकते हैं ——उनके उत्तर और राष्ट्रपति के आदेश के बीच में अन्तर को कैसे ठीक कर सकते हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मा० सदस्य सरल प्रश्न पूछ कर सभा के समय की बचत कर सकते थे । यह दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात् बचा हुआ बकाया काम है जिसमें अभिरक्षा में रखी कतिपय शत्रु सम्पत्ति की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है और इस मन्त्रालय के अन्तर्राष्ट्रीय विभाग द्वारा उसका वितरण किया जाता है । मैंने यही कहा है कि भारत में कोई 'शत्रु फर्में' नहीं हैं ।

†**श्री हरिविष्णु कामत** : क्या मन्त्रालय राष्ट्रपति से यह प्रार्थना करने का विचार करता है कि वह उपशीर्ष का पूर्वार्ध निकाल दें और केवल उत्तरार्ध रहने दें पूर्वार्ध, अर्थात् शत्रु और शत्रु फर्मों के साथ व्यापार को निकालना है । अब उसकी जरूरत नहीं । युद्ध समाप्त हो चुका और हमारे समूचे विश्व के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं । भारत के लिये संसार में कोई शत्रु नहीं है ।

†**श्री मनुभाई शाह** : इस प्रकार के कामों को अन्तर्राष्ट्रीय किस्म के नाम दिये गये हैं । मैं मा० सदस्यों को विश्वास दिला सकता हूं कि हमारे कोई शत्रु नहीं और कोई शत्रु सम्पत्ति नहीं । हम कुछ सम्पत्तियों के अभिरक्षक हैं, जो भूतपूर्व शत्रु सम्पत्ति के तौर पर जमा हो गई है ।

†**श्री हरिविष्णु कामत** : तो पूर्वार्ध को निकाल दिया जाये ।

धनबाद भेजे गये केन्द्रीय सरकार के पदाधिकारी

†*२५१. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को (१) कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय; (२) कोयला खान कल्याण आयुक्त के कार्यालय; (३) खानों के मुख्य निरीक्षक के कार्यालय; और (४) प्रादेशिक श्रम आयुक्त के कार्यालय में नियोजित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को धनबाद के एक छोटे से कस्बे में, जिसे हाल ही में जिले का सदर मुकाम माना गया है, अच्छी काम की दशा न होने और पर्याप्त संख्या में रिहायशी क्वार्टरों की कमी के कारण हो रही कठिनाइयों का पता है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या सरकार उन स्थितियों का पुनर्विलोकन करेगी जिन स्थितियों में इन कर्मचारियों से काम काराया जाता है और उनके लिये अच्छी सुविधायें उपलब्ध करेगी ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) अतिरिक्त आवास और अन्य सुविधायें देने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या सरकार महसूस करती है कि यदि कर्मचारियों को अपने ऊपर ही छोड़ दिया जाये तो वे कभी आवास प्राप्त न कर सकेंगे ?

†**श्री हाथी** : अतः वहां भी क्वार्टर बनाने का हमारा प्रोग्राम है ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या सरकार को कर्मचारियों के काम करने की दशाओं का भी ज्ञान है जिन्हें छोटे घने दलों में रख दिया जाता है ?

†**श्री हाथी** : दफ्तर के लिये भी स्थान की कमी है । सरकार को उसका पता है और हम दफ्तर की इमारत बढ़ा रहे हैं ?

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या मकान बनाने की ऐसी कोई विशेष योजना है जो निकट भविष्य में पूरी होगी ?

†**श्री हाथी** : क्वार्टरों के बारे में हमने निश्चय कर लिया है और वे बन रहे हैं ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या उन व्यक्तियों को वित्तीय सहायता या ऋण दिया जायेगा जिन के पास भूमि है और मकान बनाना चाहते हैं ?

†**श्री हाथी** : नहीं, श्रीमान् । इस प्रोग्राम में दफ्तर के लिए और इमारत तथा कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाना ही शामिल है ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या खानों के मुख्य निरीक्षक और प्रादेशिक श्रम-आयुक्त के दफ्तरों का विभाजन होगा और इसका एक भाग बड़ाजादा में ले जाया जायेगा क्योंकि स्थान की कमी के कारण कर्मचारियों को हर समय धनबाद जाते रहना कठिन है ?

†**श्री हाथी** : कार्यवाही करने के लिये यह एक सुझाव है ।

उर्वरक कारखाने

\+

*२५२ { **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री ज० ब० सिंह : }

क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य में एक एक खाद का कारखाना स्थापित किया जायेगा; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है तथा उन कारखानों की उत्पादन क्षमता क्या होगी ?

योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). एक विवरण सभा की मेज़ पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३६]**

श्री रघुनाथ सिंह : इस स्टेटमेंट से यह जाहिर होता है कि १७ स्थानों पर फैक्टरियां स्थापित होने वाली हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन में से प्राइवेट सैक्टर में कौन कौनसी फैक्टरियां होंगी।

श्री नन्दा : मेरे ख्याल में इसी स्टेटमेंट में इसका ज़िक्र किया गया है। प्राइवेट सैक्टर में मध्य प्रदेश में एक, राजस्थान में एक, आन्ध्र प्रदेश में दो, मैसूर में एक और मद्रास में एक, फैक्टरियां लगाई जायेंगी।

†**श्री नम्बियार** : निवेली में उर्वरक कारखाने का निर्माण किस अवस्था में है जो कि निवेली लिग्नाइट से एक उपोत्पाद बनायेगा ?

†**श्री नन्दा** : अभी मेरे पास निवेली के बारे में विस्तृत ब्यौरा नहीं है। यदि मेरे माननीय सदस्य के पास हो, तो कृपया जानकारी दे दें।

†**श्री मलकंदा रेड्डी** : इन में से कितने कारखानों में उत्पादन आरम्भ हो गया है और यदि हां, तो वे किस किस राज्य में है ?

†**श्री नन्दा** : तीसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में हमारे पांच कारखानों में उत्पादन हो रहा था।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या यह सच है कि विशाखापटनम् में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये एक कम्पनी को दिये गये लाइसेन्स का प्रयोग नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या किसी अन्य कम्पनी द्वारा कारखाना खोलने की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है ?

†**श्री नन्दा** : इसकी एक प्रक्रिया है जिसका पालन होता है और कुछ समय बाद अन्य कार्यवाही की जाती है। परन्तु मेरी जानकारी यह है कि लाइसेंस दिया गया है और अस्थायी अबस्थित प्रोग्राम के अनुसार जो कि कम्पनी ने बताया है, संयंत्र में १ मार्च, १९६४ तक उत्पादन आरम्भ होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री नम्बियार।

†**श्री तिरुमल राव** : श्रीमान् मे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मेरा प्रश्न यह था कि जिस कम्पनी को लाइसेंस दिया था क्या उसने कारखाना बनाने से मना कर दिया और यदि यह सच है, तो क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है ? वह यह कैसे कह सकते हैं कि कारखाने में उत्पादन आरम्भ होगा ?

†**श्री नन्दा** : मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार मैंने उत्तर दे दिया है कि कम्पनी ने अस्थायी अवस्थित प्रोग्राम दे दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुरारका** : क्या अनेक कारखानों में अनुसूची के अनुसार और सरकार के लिये सन्तोषजनक ढंग से प्रगति हुई है या इन कारखानों में उत्पादन तीसरी पंचवर्षीय योजना के केवल अन्तिम वर्ष में आरम्भ होगा ।

†**श्री नन्दा** : अनेक मामलों में निश्चित समय का पालन होगा और कुछ मामलों में विलम्ब हो सकता है ।

†**श्री शिवनंजप्पा** : मसूर में बनने वाले कारखाने की कितनी क्षमता होगी और इसमें काम कब आरम्भ होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रत्येक कारखाने के बारे में उत्तर देना कठिन है ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि काश्मीर में स्थापित होने वाले कारखाने के लिये जानकारी एकत्रित और रिपोर्ट तैयार हो गई है ?

†**श्री नन्दा** : वे उस पर भी विचार कर रहे हैं ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या मुख्यकर खेतिहर राज्यों को प्राथमिकता दी जायेगी और यदि हां तो इसका कारण है कि भारत सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सरकार की यह प्रार्थना अस्वीकार कर दी कि वहां सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना खोला जाये ?

†**श्री नन्दा** : आन्ध्र प्रदेश में दो कारखाने खुलेंगे ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : मेरा अभिप्राय है सरकारी क्षेत्र में ।

†**श्री अ० म० त्रिवेदी** : माननीय मंत्री ने कहा था कि मध्य प्रदेश में भी एक कारखाना खुलेगा। यह कारखाना कहां खुलेगा ?

†**श्री नन्दा** : पटल पर रखे गये विवरण में जानकारी दी है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : विवरण यह नहीं दर्शाता कि इनमें से कितने कारखाने सरकारी क्षेत्र में होंगे और कितने गैर सरकारी क्षेत्र में होंगे आजकल गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र की लाइसेन्स प्राप्त क्षमता और विद्यमान क्षमता कितनी कितनी है ?

†**श्री नन्दा** : मेरे पास एक विवरण है जिसे पढ़ने में समय लगेगा । इसमें विभिन्न राज्यों सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के कारखानों के नाम और उनके सम्बन्ध में जानकारी दी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह भी पटल पर रखा जा सकता है ।

†**श्री नन्दा** : मैं टपटल पर रख दूंगा ।

†**श्री मुरारका** : माननीय मंत्री ने कहा था कि शायद कुछ कारखाने निश्चित समय पीछे रहेंगे । सरकार विलम्ब दूर करने और समय पर उत्पादन होना सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चो० ब्रह्मण्यिम)** : क्या मैं यह कह सकता हूं कि यह प्रश्न भारी उद्योग मंत्री से पूछा जाना चाहिये जो कि उर्वरक के लिये प्रभारी हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री यह बता सकते थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नेफा में दासता

+

†*२५३ { **श्री रिशांग किशिंग :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने नेफ़ा में दासों को मुक्त कराने का काम कब से शुरू किया ;

(ख) अब तक कितने दास दासता से मुक्त कराये गये ; और

(ग) इस कार्यक्रम पर, मुक्त कराये गये दासों के पुनर्वास समेत, कितना धन खर्च किया गया है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन):** (क) सरकार १९५६ के दासता कन्वेंशन की शर्तों का पलन करने के लिये वचन बद्ध है । हमारा संविधान दासता की आज्ञा नहीं देता और स्वतन्त्रता के बाद सरकार इस बुराई को समाप्त करने का भरसक प्रयास कर रही है ।

(ख) ३१ मार्च, १९६२ तक ३००० से अधिक दासों को मुक्त कराया जा चुका था जिनमें से बहुत बड़ी संख्या में दास १९६१–६२ में, मुक्त कराये गये जब कि सरकार ने नेफ़ा में दासता के पूर्ण समापन की अन्तिम तारीख ३१ मार्च, १९६२ निर्धारित की थी । अन्दरूनी भागों के गांवों में कुछ दास अब भी मुक्त कराने हैं और नेफा प्रशासन उनकी मुक्ति के लिये सघन प्रयत्न कर रहा है ।

(ग) दासों की मुक्ति पर ३० सितम्बर, १९६१ तक कुल १,०८,४१० रु० व्यय हुए थे । वर्ष १९६१–६२ के उत्तरार्द्ध के लिये ४ लाख रु० और आवंटित किये गये थे । इस बात का पता कि आवंटन में से निश्चित रूप से कितनी धन राशि व्यय हुई है, अन्दरूनी भागों के समस्त स्थानों से रिपोर्ट प्राप्त होने पर लगेगा ।

†**श्री रिशांग किशिंग :** क्या मुक्त दासों को वहीं पुनः बसा दिया जाता है जहां उन्हें रखा गया था या उन्हें अपने माता-पिता तथा सम्बन्धियों के पास गांवों में भेज दिया जाता हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** वे अपने गांव जा सकते हैं। पुनर्वास की समस्या बिल्कुल पैदा नहीं हुई ह क्योंकि वहां जमीन काफी है ।

†**श्री वसुमतारी :** क्या सरकार को पता है कि दक्षिण में आदिम जातियों के इलाके में नेफा के अलावा, दास प्रणाली है .....

†**अध्यक्ष महोदय :** अभी हम नेफा में दासता के बारे में बात कर रहेहैं ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** आजकल मुक्त दास क्या कार्य कर रहेहैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** नेफा में जमीन काफी है । वे या तो गांवों में चले जाते हैं या ....

†**अध्यक्ष महोदय :** वे जमीन पर बस जाते हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या यह सच है कि नेफा में अथवा उसके आस पास के इलाके में काम करने वाले चीनी एजेन्ट भारत विरोधी अपने प्रोपगन्डे में इस बुराई से लाभ उठा रहे हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** यह सच नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिविष्णु कामत :** कदाचित उन्हें पता नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह हो सकता है ।

†**श्री हेम बरूआ :** क्या आदिम जाति की पट्टी में मुक्त कराये गये प्राचीन दास वित्तीय सहायता दे कर पुनः काम पर लगाये जाते हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** मैं प्रश्न का उत्तर दे चुकी हूं ।

†**श्री हेम बरूआ :** वित्तीय सहायता ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मुक्त दासों को वित्तीय सहायता ?

†**श्री हेम बरूआ :** हां ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या उन्हें कोई वित्तीय सहायता दी जाती है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेननः** यदि उन्हें आवश्यकता हो तो वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कर्मचारी भविष्य-निधि योजना

†*२४०. **श्रीमती मैमुना सुल्तान :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में कर्मचारी भविष्य निधि योजना के प्रशासनिक ढांचे के विकेन्द्रीकरण का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो संशोधित ढांचा क्या है ; और

(ग) सरकार पहले ढांचे में संशोधन करने के लिये किन कारणों से प्रेरित हुई ?

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में श्रम मन्त्री (श्री हाथी) :** (क) नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

हिन्दुस्तान एण्टी बायोटिक्स लिमिटेड पिम्परी

†*२४२. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी की वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है ; और

(ख) क्या देश की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिये इस संयंत्र के विस्तार का कोई कार्यक्रम है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख) एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि० ने वर्ष १९६२–६३ के लिये एण्टीबायोटिक्स के उत्पादन के निम्न अस्थायी लक्ष्य निर्धारित किये हैं :––

	प्रति वर्ष
(१) बल्क पेनिसिलिन	५०० मेगा यूनिट ।
(२) टेट्रासाइक्लिन	१००० किलोग्राम ।
(३) स्ट्रेप्टोमाइसिन और आइहाड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन	२०००० किलोग्राम ।

(ख) वर्तमान चिन्हों के अनुसार कम्पनीका विस्तार प्रोग्राम निम्न है :––

	प्रति वर्ष
(१) टेट्रासाक्लिन	१५०० किलोग्राम ।
(२) स्ट्रेप्टोमाइसिन एण्ड प्राई हाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन	८०,००० से ९०,००० किलोग्राम ।
(३) हेमाइसिन (नई एण्टीफंगल एण्टीथयोटिक्स)	१५ किलोग्राम ।
(४) विटामिन 'सी'	४८ टन ।

नेपाल से निष्कासित भारतीय पत्रकार

†*२५४. **श्री अ० व० राघवन् :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष नेपाल से कितने भारतीय संवाददाता निष्कासित किये गये ;

(ख) क्या निष्कासन से पूर्व पदाधिकारी स्तर पर कोई परामर्श किया गया था ; और

(ग) क्या इस बारे में नेपाली अधिकारियों से कोई विरोध प्रकट किया गया है ?

†**वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) दो ।

(ख) नहीं ।

(ग) औपचारिक शिकायत करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

बेरोजगारों के लिये निधि

†*२५५. **श्री राम हरख** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बेरोजगारों की ल्सहायता के लिये केन्द्र में और राज्यों में एक निधि बनाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्ताव के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि नहीं, तो इसको कब तक कार्यरूप दिये जाने की संभावना है ?

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)**: (क) से (ग). बेरोजगार व्यक्तियों को सहायता देने के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में २ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है। इस कार्य के लिये एक प्रारूप योजना तैयार हो गई है और वह विचाराधीन है।

परमाणु भट्टी[1]

†*२५६. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री सोनावने :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जापान सरकार ने एक जापानी फर्म द्वारा भारत को परमाणु भट्टी के भागों का निर्यात तब तक के लिये रोक दिया है जब तक कि भारत सरकार इस बात का प्रमाण उनको न दे दे कि यह भट्टी केवल शांतिपूर्ण कार्यों के लिये अणुशक्ति के विकास के लिये इस्तेमाल की जायेगी ?

†**वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : यह बात सच नहीं है। जैसा कि सर्वविदित है कि तारापुर में एक पूर्ण अणुशक्ति केन्द्र के निर्माण के लिए समस्त देशों से टेण्डर मांगे गये थे। सात टेण्डर प्राप्त हुए थे। इन में कोई भी टेण्डर जापान का न था। भारत सरकार ने भी रीएक्टर के पुर्जों के संभरण के लिए जापान से प्रार्थना नहीं की। भारत में जापान से नाभिकीय रिएक्टर के पुर्जों का आयात बन्द करने का सवाल ही नहीं है।

छोटे पैमाने के उद्योगों को ऋण के लिये प्रत्याभूति योजना

†*२५७. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे पैमाने के उद्योग को ऋण देने के लिये सरकार की प्रत्याभूति योजना (गारंटी स्कीम) के अन्तर्गत क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस योजना के अधीन विभिन्न बैंकों द्वारा कितने रुपये का ऋण दिया गया; और

(ग) इस मामले में बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो)**: (क) से (ग). एक विवरण पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) ऋण प्रत्याभूति योजना से प्राप्त होने वाली प्रत्याभूति के कारण कुछ ऋण-संस्थाओं ने ऋण प्रत्याभूति अन्तर कर दिया है। आशा है कि भविष्य में ऋण संस्थाओं द्वारा कम किया गया अन्तर और अधिक महत्वपूर्ण होगा। इस सम्बन्ध में भारत का रक्षित बैंक एक सर्वेक्षण कर रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Nuclear Reactor.

(ख) भारत के रक्षित बैंक को मार्च, १९६२ के अन्त तक ८,९२,६९,०७१ रु० के ऋण की प्रत्याभूति के लिए २,५२३ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए थे और ७,६३,२८,८०० रु० के ऋण की प्रत्याभूति के लिए २,३४८ प्रत्याभूति सर्टिफिकेट जारी किये थे। इस योजना के अन्तर्गत संबंधित बैंकों द्वारा दिये गये वास्तविक ऋणों सम्बन्धी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। फिर भी, भारत का रक्षित बैंक ऐसे ऋणों का सर्वेक्षण कर रहा है।

(ग) ऋण संस्थाओं में दिलचस्पी अधिक बढ़ाने के लिये की गई कुछ मुख्य कार्यवाही निम्न है :—

(१) भारत का रक्षित बैंक महत्वपूर्ण स्थानों पर नियमित रूप से उल्लिखित और अनोल्लिखित ऋण-संस्थाओं की सामयिक बैठकें आयोजित करता है। इन बैठकों में दिये गये सुझावों की, जो कि योजना के संचालन और उपयोगिता में सुधार करने के लिए होते हैं, जांच होती है एवं जहां संभव होता है उन्हें लागू किया जाता है।

(२) पुनः वित्त-व्यवस्था निगम ने निश्चय किया है कि छोटे पैमाने के उद्योगों को, जो प्रत्याभूति योजना के अन्तर्गत आते हैं और अन्यथा पुनः वित्त-व्यवस्था के पात्र हैं, पुनः वित्त देने की सुविधायें दी जायें।

(३) अनुसूचित बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे छोटे पैमाने के उद्योगों को अपने ऋणों में वृद्धि होने के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक से अधिक धन उधार ले सकते हैं।

कपड़ा मजूरी बोर्ड की सिफारिशें

†*२५८. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में एथरटन वेस्ट और एलगिन नं० २ मिलों में कपड़ा मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का फैसला कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मिलों की वित्तीय स्थिति अब काफी सुदृढ़ है; और

(घ) यदि हां, तो इन सिफारिशों को क्रियान्वित न करने के बारे में मिल-मालिकों ने क्या तर्क पेश किये हैं?

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में श्रम मन्त्री (श्री हाथी):** (क) और (ख). नहीं। कपड़ा मजूरी बोर्ड की रिपोर्ट पर सरकारी संकल्प का पैरा ७ दोनों यूनिटों पर लागू होता है, इसलिए आजकल बोर्ड की सिफारिशें उन पर लागू नहीं होतीं।

(ग) और (घ). मामले की जांच की जा रही है।

लैटिन अमरीकी देशों को व्यापार शिष्टमण्डल

†*२५९. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग निर्यात संवर्द्धन परिषद् द्वारा पुरस्कृत एक व्यापार शिष्टमंडल हाल ही में लैटिन अमरीकी देशों के दौरे पर गया था;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो व्यापार दल द्वारा कौन-कौन से देशों का दौरा किया गया;

(ग) इस दल द्वारा उन देशों को भारतीय निर्यात के संवर्द्धन के लिये किन संभावनाओं का पता लगाया गया; और

(घ) उन देशों में उपलब्ध निर्यात संभावनाओं का पूरा उपयोग करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रतिनिधिमण्डल ब्राज़ील, अर्जटीना, चिली और लैटिन अमरीका में पीरू गया था । रास्ते में वे अमरीका और जापान भी गये ।

(ग) और (घ). प्रतिनिधिमण्डल ने वाणिज्य मण्डलों और व्यापारियों, स्थानीय सरकारी अधिकारियों और भारतीय राजदूतावासों तथा वाणिज्य दूतों आदि के साथ भारतीय इंजीनियरिंग सामान के निर्यात की संभावनाओं की चर्चा की। उस क्षेत्र में कुछ हमारी इंजीनियरिंग वस्तुओं का भविष्य अच्छा है ।

प्रतिनिधिमण्डल की आरम्भिक रिपोर्ट अभी मिली है और विचाराधीन है ।

पेट्रो-केमिकल उद्योग

†*२६०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नये पेट्रो-केमिकल उद्योग को लाइसेंस देना गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों द्वारा संचालन के आवंटन के बारे में अन्तिम निर्णय किये जाने तक आस्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन मामलों के अस्थगित किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे लाइसेंसों के लिये कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :(क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पाकिस्तान के उप-उच्चायुक्त का माल्दा जिले का दौरा

†*२६१. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत स्थित पाकिस्तान के उप-उच्चायुक्त को अप्रैल, १९६२ के पहले सप्ताह में पश्चिम बंगाल में माल्दा जिले का दौरा करने की अनुमति दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) सामान्य प्रथा यह है कि कलकत्ता में रहने वाले विदेशी प्रतिनिधि पूर्वानुमति बिना राज्य में कहीं भी जा सकते हैं । उन्हें केवल पश्चिम बंगाल सरकार को अपनी यात्रा का विवरण पहिले बताना होता है । इस मामले में कलकत्ता में पाकिस्तान के उप-उच्च-आयुक्त ने जिला माल्दा जाने की अनुमति मांगी थी जो राज्य सरकार ने भारत सरकार से परामर्श करके दे दी थी । उन्होंने अपना यात्रा-विवरण राज्य सरकार को भेज दिया था जिसने उस क्षेत्र में उनकी यात्रा का आवश्यक प्रबन्ध कर दिया ।

पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों का पुनर्वास

†*२६२. श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती : क्या निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार को शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये विभिन्न मदों के अधीन निधि दे दी गयी है;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य सरकार केन्द्रीय पुनर्वास मंत्रालय के बन्द किये जाने से उपलक्षित इस सुझाव से सहमत नहीं है कि पूर्व पाकिस्तान से आये शरणार्थियों की समस्या सुलझ गयी है;

(ग) क्या पूर्वी प्रदेश में शरणार्थियों के पुनर्वास की शेष समस्या का निर्धारण पूरा कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस निर्धारण सम्बन्धी प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) आय-व्ययक में स्वीकृत राशियों के अनुसार प्रति वर्ष पुनर्वास के लिए पश्चिम बंगाल को राशि दे दी जाती है । १९६२–६३ के लिए आय-व्ययक में ४६१·९८ लाख रु० का उपबन्ध है ।

(ख) पुनर्वास विभाग को बन्द करने के लिए अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

(ग) पश्चिम बंगाल के बारे में अभी अन्तिम निर्धारण नहीं किया गया है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अमरीका में इस्पात के मूल्य

†*२६३. श्री हरि विष्णु कामत : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमरीका में इस्पात के मूल्यों में वृद्धि के बारे में हाल के समाचार पत्रों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना पर उसका असर पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो किस रूप में और किस सीमा तक ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मन्त्री (श्री नन्दा)** : (क) से (ग). प्रश्न का उत्तर इस्पात और उद्योग मंत्री बाद की किसी तारीख को देंगे ।

द्वितीय योजना म मनीपुर के लिये निधि का आवण्टन

†*२६४. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये कुल कितनी निधि का आवंटन किया गया है ;

(ख) कुल कितना व्यय हुआ ;

(ग) कितना धन खर्च नहीं किया गया; और

(घ) धन खर्च न किये जाने के क्या कारण हैं ?

योजना तथा श्रम और रोजगार मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) ६२५.२३ लाख रु० ।

(ख) ६२१.१७ लाख रु० ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

सीमा घटनाएं

†*२६५. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री ह० प० चटर्जी :
बख्शी अब्दुरशीद :
श्री अब्दुल गनी गोनी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१-६२ में पाकिस्तान द्वारा सीमा घटनायें पहले वर्ष की तुलना में बहुत बढ़ गई हैं ;

(ख) ऐसा किस प्रकारण से हुआ है और इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या एक ब्यौरेवार विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) से (ग). सम्बन्धित छः राज्यों से ३१-३-६२ तक की पूरी जानकारी प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा । अभी तक केवल राज्य सरकार का उत्तर आया है । छः की छः राज्य सरकारों से रिपोर्टें प्राप्त होने पर ही १९६०-६१ और १९६१-६२ में तुलना की जा सकती है । एक विवरण यथा शीघ्र पटल पर रखा जायेगा ।

नेपा मिल

†*२६६. **श्रीमती मेमुना सुल्तान** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रविधिक व्यक्तियों के अभाव में नेपा मिलों में उत्पादन कम हो रहा है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानुनगो)** : (क) और (ख). एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

उत्पादन में कमी होने का एक कारण यह है कि विशेषकर कागज बनाने की मशीन को १२०० फीट प्रति मिनट की निश्चित क्षमता पर चलाने के लिये उचित प्रकार के टैक्निकल तथा पर्याप्त अनुभवी कर्मचारियों की कमी है ।

विदेशी विशेषज्ञों का एक दल जांच करने और स्थिति सुधारने के लिये सुझाव देने के लिए मिल गया था । टीम की रिपोर्ट अभी नहीं आई है । काफी प्रशिक्षण लेने के लिये इनके साथ इनके समान भारतीय कर्मचारी लगा दिये गये हैं ।

नागालैण्ड में व्यावसायिक शिक्षा

†*२६७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैण्ड के एक्जीक्यूटिव काउन्सलर (श्री होकेशी सामा) के इस वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि नागालैण्ड में व्यावसायिक शिक्षा आरम्भ करने और उसके विकास की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई गई है; और

(ग) इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) से (ग). सरकार ने नागा लड़के व लड़कियों के लिए व्यवसायिक शिक्षा के महत्व पर श्री होकेसी सामा का वक्तव्य अखबारों में देखा है । नागालैण्ड प्रशासन ने भी उन्हें सूचना दी है कि नागालैण्ड में व्यावसायिक प्रशिक्षण की ओर सुविधायें देने की योजना बन रही है जिसमें कोहिमा के जूनियर टैक्निकल स्कूल को और तुएन सांग तथा मान में कुटीर उद्योग प्रशिक्षण केन्द्रों को पालीटैक्निकों में बदलने का उल्लेख है । पाठ्यक्रम में लोहारी, बढ़ईगीरी, राजगीरी, बेंत और बांस का काम, दरियां बनाना, मोटर इंजीनियरिंग, मशीन और बिजली इंजीनियरिंग, बुनाई और लकड़ी पर नक्काशी का काम शामिल है ।

जूट के लिये रक्षित भाण्डार अभिकरण

†*२६८. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जूट के लिये रक्षित भाण्डार अभिकरण के कार्यवाहन पर सरकार द्वारा क्या 'पर्याप्त नियन्त्रण' लगाये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनूभाई शाह)** : सरकार का रक्षित भाण्डार संस्था के कार्यों पर कोई सीधा नियन्त्रण नहीं होता है । सरकार जूट आयुक्त द्वारा समस्त देखभाल करती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विद्रोही नागाओं के खिलाफ कार्यवाही पर व्यय

†२२३. **श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६० और १९६१ में विद्रोही नागाओं के खिलाफ कार्यवाही करने पर कुल कितना व्यय हुआ ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : सशस्त्र सेनाओं का एक काम यह भी है कि वे विधि तथा व्यवस्था को बनाये रखने में असैनिक प्राधिकारियों की सहायता करें। ऐसी सहायता के लिए कोई पृथक् खाता नहीं रखा जाता। अतः १९६० और १९६१ में विद्रोही नागाओं के खिलाफ की गई कार्यवाही का कुल व्यय अलग से नहीं बताया जा सकता।

मालदीव द्वीप समूह

†२२४. **श्री रघूनाथ सिंह :**
श्री विभुति मिश्र :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मालदीव द्वीप समूह के श्री एच० बी० टी० डीडी वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के मित्र राष्ट्रमण्डल सम्बन्धी सचिव से मिले थे और मालदीव द्वीप समूह की स्वतन्त्रता की मांग की पैरवी की थी; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). हां, श्रीमान्। श्री डीडी ने प्रार्थना की थी कि मालदीव द्वीप समूह की सलतनत पर उनका हक मान लिया जाये और भारत संयुक्त राष्ट्र में या मित्र राष्ट्र मण्डल के प्रधान मन्त्रियों की कान्फ्रेंस में द्वीप समूह को उपनिवेशीय स्थिति से स्वतन्त्र कराने की बात उठाये। उन्हें बताया गया कि भारत सरकार की वर्तमान जानकारी के अनुसार न तो मालदीव की सलतनत पर उनके हकको और न ही मालदीव की पूर्ण उपनिवेशीय स्थिति की पुष्टि नहीं होती।

ग्राम समाज के निर्बल अंग

२२५. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्राम समाज के निर्बल अंगों की दशा का अध्ययन करके एक अध्ययन मण्डल ने अपना प्रतिवेदन कुछ समय पहले प्रस्तुत किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी मुख्य मुख्य सिफारिशों पर प्रकाश डालने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

योजना तथा श्रम और रोजगार मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां, लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या ६६५ मांग (क) को भी देख लिया जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) मुख्य मुख्य सिफारिशों का विवरण रिपोर्ट में ६० से ७० पृष्ठों पर देखा जा सकता है। इस रिपोर्ट की एक प्रति लोक सभा की लाइब्रेरी में रख दी गई है।

(ग) यह रिपोर्ट राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों को उनके विचारार्थ भेज दी गई है।

पश्चिम पाकिस्तान की सीमा पर पाकिस्तानियों से मुठभेड़

†२२६. **श्री रघूनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ़ीरोजपुर से सात मील दूर हुसैनीवाला सीमा पर भगतसिंह स्मारक के पास भारतीय पुलिस के साथ मुठभेड़ में ३० मार्च, १९६२ को दो पाकिस्तानी गोली खाकर मर गये; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). ३०-३१ मार्च, १९६२ की रात को पंजाब सशस्त्र पुलिस एक प्रवेशरोधी दल ने गश्त करते हुए सीमा स्तम्भ संख्या १९० के पास चार व्यक्तियों को सीमा पार करते और पश्चिमी पाकिस्तान के क्षेत्र से भारतीय क्षेत्र में घुसते हुए देखा। भारतीय प्रवेशरोधी दल के आपत्ति करने पर अतिक्रमणकारियों ने गोली चलाई। प्रवेशरोधी दल ने भी अपनी हिफाजत के लिये गोली चलाई। दोनों ओर से गोली चलने के फलस्वरूप दो अवैध प्रवेशी मारे गये और बाकी दो अंधेरे में अपने हथियारों समेत पाकिस्तान सीमा में चले गये। मृत शरीरों से दो चाकू और कुछ पाकिस्तानी चलार्थ प्राप्त हुआ।

केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड

†२२७. **श्री रघूनाथ सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ने फिल्मों को प्रदर्शनार्थ अनुमति देने में, फिल्मों के प्राप्त होने से अनुमति देने तक, औसत समय कितना लिया ?

†**सूचना और प्रसारण मन्त्री (डा० ब० गोपाल रेड्डी)**: फिल्म सेंसर बोर्ड फिल्म का जन प्रदर्शन करने की अनुमति देने में फिल्म के प्राप्त होने की तारीख से औसतन १५ दिन लेता है।

सीरिया में भारतीय

२२८. { **श्री विभूति मिश्र** :
श्री इ० मधूसूदन राव :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीरिया में मार्च, १९६२ के अन्त में हुई सैनिक क्रान्ति में वहां रहने वाले किसी भारतीय राष्ट्रजन को किसी प्रकार की चोट आयी थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ;

(ग) क्या भारत सरकार ने नई सरकार को मान्यता प्रदान कर दी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या सरकार में परिवर्तन का भारत-सीरिया व्यापार अथवा अन्य सम्बन्धों पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा ?

प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) नई सरकार को मान्यता देने का प्रश्न कभी नहीं उठा, क्योंकि राष्ट्रपति कुदसी के फिर से सत्तारूढ़ होते ही सीरिया का संकट स्वयं समाप्त हो गया ।

(घ) जी नहीं ।

कोयला-खानों में दुर्घटनायें

२२९. **श्री बाल्मीकी :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९५९ से मार्च, १९६२ तक की अवधि में कोयला-खानों में कुल कितनी दुर्घटनायें हुईं ;

(ख) इन दुर्घटनाओं के फलस्वरूप धन-जन की कितनी हानि हुई ;

(ग) कितने परिवारों को मुआवज़ा दिया गया ; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए वैज्ञानिक पद्धति पर क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). कोयला खानों में हुई घातक दुर्घटनाओं की संख्या और उनके फलस्वरूप हुए जानी नुकसान से संबंधित सूचना नीचे दी जाती हैं :—

वर्ष	घातक दुर्घटनाओं की संख्या	दुर्घटनाओं में मरे व्यक्तियों की संख्या
१९५९	१९१	२१२
१९६०	१९८	२३३
१९६१	२२२	२६७
जनवरी—मार्च, १९६२	६०*	७१*

माली नुक़सान संबंधी आंकड़े प्राप्त नहीं हैं ।

*१९६२ के आंकड़े कच्चे हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उपरोक्त अवधि में ७,५२१ मामलों में मृतकों और घायलों के बारे में मुआवजा अदा कर दिया गया ।

(घ) १९५८-५९ में एक सुरक्षा सम्मेलन बुलाया गया था जिसमें सब संबंधित व्यक्तियों ने, जिनमें अनुसंधान में लगे विशेषज्ञ भी थे, भाग लिया । इसकी सिफारिशों पर विभिन्न टेकनिकल समस्याओं के अध्ययन के लिए छः विशेषज्ञ समितियां स्थापित की गईं । इनमें तीन ने रिपोर्टें भेज दी हैं और बाकी समितियों का टैक्निकल अध्ययन जारी है । सुरक्षा विधान में कुछेक संशोधन किये जा चुके हैं । लागू करने संबंधी व्यवस्था को मजबूत बनाना, प्रशिक्षण संबंधी उपाय करना, सुरक्षा शिक्षा और प्रचार तथा सुरक्षा विनियमों को सामान्य रूप से मजबूत बनाना ये अन्य दूसरे कार्य भी किये जा रहे हैं ।

ब्रिटेन में भारतीय आप्रवासी

२३०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, १९६२ के मास में २३८० भारतीयों ने ब्रिटेन में प्रवेश किया जैसा कि ब्रिटिश सरकार की विज्ञप्ति में बताया गया है ;

(ख) क्या इन सब व्यक्तियों ने ब्रिटेन में प्रवेश करने से पहले पारपत्र (पासपोर्ट) प्राप्त कर लिए थे ; और

(ग) क्या इन सब व्यक्तियों को अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान था ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) यह सच है कि ब्रिटिश सरकार ने ऐसी रिपोर्ट की है कि फरवरी, १९६२ में २,३८० भारतीयों ने यूनाइटड किंगडम में प्रवेश किया । लेकिन हमारे लिए यह संभव नहीं है कि अपने स्रोतों से इन आंकड़ों की पुष्टि कर सकें ।

(ख) उनके पास भारतीय यात्रा प्रलेख होने तो चाहिएं ।

(ग) उनमें से अधिकांश लोग काम चलाऊ अंग्रेजी जानते थे, सिवा कुछ पत्नियों और निर्भर बच्चों के, जो यूनाइटेड किंगडम में अपने संबंधियों के पास जाना चाहते थे ।

नालीदार कागज[1] का निर्माण

†२३१. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में नालीदार कागज बनाने के लिए एक कारखाना स्थापित करने के लाइसेन्स के लिए केरल सरकार से कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का क्या ब्योरा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानुनगो)**: (क) और (ख). केरल सरकार से ऐसा कोई प्रार्थनापत्र नहीं मिला परन्तु एक गैर-सरकारी फर्म ने केरल में नालीदार

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Corrugated Paper.

कागज बनाने का १०० टन दैनिक क्षमता का कारखाना स्थापित करने के लिये प्रार्थना पत्र भेजा था। यह योजना सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली गई है।

गोले[1] का आयात

†२३२. { **श्री वारियर :** **श्री वासुदेवन नायर :** }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से आयात की उन कठिनाइयों के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है जो गोले का आयात करने में तेल मिल मालिकों को उठानी पड़ती है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनूभाई शाह)**: (क) हां, श्रीमान्। १९६० में एक अभ्यावेदन आया था।

(ख) सरकार ने अभ्यावेदन में उल्लिखित तेल-मिल मालिकों की कठिनाइयों पर विचार किया है और उपलब्ध विदेशी मुद्रा की सीमा में आयात किये गये गोले की उनकी आवश्यकता पूरी करने का यथासम्भव प्रयास कर रही है।

मध्य प्रदेश में कपड़ा मिलें

†२३३. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की कपड़ा मिलों में आजकल कितने तकुए हैं ;

(ख) उस राज्य में आजकल प्रतिवर्ष कितना कपड़ा बनता है ;

(ग) १५ गज प्रति-व्यक्ति उपभोग के आधार पर गणित की गई उस राज्य की कपड़े की वार्षिक आवश्यकता कितनी है ;

(घ) क्या उस राज्य में तकुओं की संख्या बढ़ाने की मांग है ; और

(ङ) यदि हां, तो कितने तकुओं की मांग है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनूभाई शाह) :**

(क) ४.९९ लाख तकुए।

(ख) १९६१ में ३९७३.७ लाख मीटर कपड़ा बना।

(ग) प्रति व्यक्ति १५ गज के उपभोग के आधार पर लगभग ४४५० लाख मीटर।

(घ) और (ङ). लगभग १,५०,००० तकुओं की आवश्यकता है जो मध्य प्रदेश राज्य के लिए नियत है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Copra.

उत्तर प्रदेश में कपड़ा उद्योग

†२३४. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश काटन टेक्सटाइल मिलोनर्स एसोसियेशन ने फरवरी, १९६२ में या उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह प्रार्थना भेजी थी कि उस राज्य में कपड़ा उद्योग को और तकुए दिये जायें ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निश्चय किया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) भारत सरकार को अभी प्रार्थना नहीं मिली है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

निर्यात-वस्तुओं की किस्म का नियंत्रण

†२३५. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्यात होने वाली वस्तुओं पर अनिवार्य रूप से किस्म नियंत्रण (क्वालिटी कन्ट्रोल) लागू करने का अधिकार सरकार को देने वाले विधान के कब तक पेश किये जाने की संभावना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** अनिवार्य प्रकार नियन्त्रण का समूचा प्रश्न विचाराधीन है ।

केरल में औद्योगिक बस्तियां

†२३६. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कुन्हन :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में केरल में कितनी औद्योगिक बस्तियां बनाने का विचार है ; और

(ख) इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) और (ख). केरल सरकार का विचार तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में दस औद्योगिक बस्तियां बनाने का है । इन के लिए स्थान चुन लिया गया है और भूमि की प्राप्ति की वार्ता हो रही है ।

मछली निर्यातकर्ताओं को सहायता

†२३७. **श्री प० कुन्हन :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में मछली या मछली उत्पादों का निर्यात करने वाली फर्मों या व्यक्तियों को कोई सहायता दी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो दूसरी पंच वर्षीय योजना में इस कार्य के लिये कितना धन निर्धारित किया गया था और उसमें से कितना व्यय हुआ ;

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितनी धन राशि का उपबन्ध है ; और

(घ) क्या मछली और मछली-उत्पादों के निर्यातकर्ताओं की सहायता करने के कोई विशेष प्रस्ताव हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) केरल में और भारत के अन्य भागों में मीन क्षेत्र उद्योग के उत्पादन के विस्तार की योजनाओं द्वारा सहायता दी गई है । इससे निर्यात में भी सहायता मिलती है और इसके साथ ही निर्यात की मांग वाले महत्वपूर्ण देश बर्मा तथा श्री लंका के साथ व्यापार करार करके भी सहायता दी गई है । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

(१) जल उत्पाद निर्यात संवर्द्धन परिषद् बनाई गई है जिसका मुख्यालय एरणाकुलम में है ।

(२) पैकिट बनाने के सामान का जैसे टिन की प्लेटों, पट्ठे के कार्टनों, मास्टर केसों, चिटों, आदि का और जल डीजल इंजनों का आयात सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से समुद्री खाद्य पदार्थों और मैंढकों की टांगों के लिए विशेष निर्यात संवर्द्धन योजना लागू की गई है ।

(३) मछली को टिन के डिब्बों में भरने के लिए प्रयोग की गई टिन प्लेटों के मूल्य पर ५०० प्रति टन छूट दी जाती है ।

(४) मीन क्षेत्रों के उत्पादों के निर्यात के लिए प्रयोग किये गये आयातीत तथा स्वदेशीय पैकिंग-सामान पर आयात तथा उत्पाद शुल्क वापिस दी जाती हैं ।

(५) सरकारी प्रयत्नों के फलस्वरूप नौवहन भाड़ा की दर जमी हुई मछली के लिए कम कर दी गई है ।

(६) केन्द्रीय मीन क्षेत्र टेक्नालोजीकल संस्था मछली परिष्करण के टेक्निकल पहलू पर अनुसन्धान करती है ।

(ख) और (ग). दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में साधारण रूप में मीन क्षेत्रों के विकास के लिये उपबन्ध किये गये थे ; निर्यात के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई थी ।

(घ) (१) कुछ मछली-उत्पादों के लिए प्रकार प्रतिमान भारतीय मानक संस्था के परामर्श से बनाये जा रहे हैं ।

(२) बर्मा को निर्यात किये जाने वाले सूखे झींगों की प्रकार और मूल्य सम्बन्धी मामले तय करने के लिए बर्मा को एक प्रतिनिधिमण्डल भेजने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कुटीर उद्योग

†२३८. **श्री प० कुन्हन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विशेष लाभ के लिये किन्हीं कुटीर उद्योगों की व्यवस्था की गई है ;

(ख) इन योजनाओं के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि का प्रबन्ध किया गया है ; और

(ग) इसमें से कितनी राशि का उपयोग किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) सवाल पैदा नहीं होता।

छोटे पैमाने के उद्योग

†२३९. **श्री बिशनचन्द्र सेठ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे पैमाने के उद्योगों के बोर्ड की एक विशेषज्ञ समिति ने छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास को वितरण को प्रोत्साहन देने के लिये कुछ सिफारिशें की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके सुझाव मान लिये हैं और सरकार उनको कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

†**वाणिज्य तथाउ द्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : अल्प स्तर उद्योग बोर्ड के अधीन उद्योगों के वितरण सम्बन्धी एक समिति छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों के द्वारा ग्राम्य क्षेत्रों और औद्योगिक दृष्टि से अविकसित क्षेत्रों के उद्योगीकरण के प्रश्न की जांच करने के लिये स्थापित की गई थी। इसकी सिफारिशें अब सरकार के विचाराधीन हैं।

मारमागोआ बन्दरगाह

†२४०. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल गोआ के असैनिक प्रशासक से अप्रैल के प्रारम्भ में मुलाकात की ताकि वे मरमागोआ बन्दरगाह में पड़े हुए माल को तुरन्त उठवाने की आवश्यकता उसको जता सकें ;

(ख) यदि हां, तो वहां कितना माल जमा हो गया था और किन परिस्थितियों में माल जमा हुआ था ; और

(ग) उनकी मांग के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां।

(ख) ५१७ खेप १९ अप्रैल, १९६२ को उनके आयात के प्राधिकरण के लिये पड़े थे इनमें से अधिकांश वस्तुएं स्वाधीनता से पूर्व किये गये आर्डरों के संबंध में आयात किये गये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १८ दिसम्बर, १९६१ से पहले किये गये पक्के वादों या सरकार की आयात नीति के ढांचे के अन्दर अन्यथा अनुज्ञेय माल के लिये आयात लाइसेंस देने का काम तेज कर दिया गया है।

नागालैण्ड के लिये प्रविधिक कर्मचारी

†२४१. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड में कृषि और उद्योग के समुचित विकास के लिये प्रविधिकों की बड़ी जरूरत है ;

(ख) यदि हां, तो किस मात्रा तक ; और

(ग) सरकार द्वारा इस आवश्यकता को पूरा करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी हां।

(ख) कृषि पर ७५ लाख रुपये सामुदायिक विकास पर ८३ लाख रुपये, अल्प स्तर उद्योग पर १५ लाख रुपये और बिजली परियोजनाओं पर ३० लाख रुपये के व्यय वाले विस्तृत विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये तीसरी पंच वर्षीय योजना में बहुत से प्रविधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है।

(ग) नागालैंड के लिये प्रविधिक कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिये कुछ निम्न उपाय किये गये हैं :—

(१) नागालैंड में पदों के लिये आकर्षक भत्ते मंजूर किये गये हैं।

(२) संघ लोक सेवा आयोग ने नागालैंड में पदों के ऊपर से अपना क्षेत्राधिकार हटा लिया है और वहां के प्रशासन को भारत सरकार को पूछे बिना, पहली श्रेणी के पदों के अतिरिक्त सभी पदों पर नियुक्तियां करने की शक्तियां दे दी गई हैं। इससे प्रविधिक कर्मचारियों की शीघ्रतापूर्वक भर्ती हो जाती है।

(३) प्रविधिक संस्थाओं में नागा विद्यार्थियों के लिये स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था की गई है।

(४) इंजीनियरी, कृषि शालिहोत्री, वन प्रबन्ध, और अन्य प्रविधिक विषयों के अध्ययन के लिये नागा विद्यार्थियों को उदारता पूर्वक छात्रवृत्तियां और वृत्तियां दी जा रही हैं।

(५) नागालैंड की तीन वर्तमान संस्थाओं को पोलीटैक्निकों में बदला जा रहा है, ताकि विभिन्न शिल्पों में प्रविधिकों की मांग पूरी की जा सके।

तिरुचिरापल्ली रेडियो कार्यक्रम

†२४२. **श्री नम्बियार :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुचिरापल्ली रेडियो स्टेशन के तामिल कार्यक्रमों को सुधारने के बारे में शिकायतें या सुझाव प्राप्त हुये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उनको उन्नत करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ;

(ग) प्रातःकाल के कार्यक्रम में अंग्रेजी में घोषणा किस प्रकार आवश्यक समझी गई है ; और

(घ) कार्यक्रम सलाहकार समिति के सदस्य कैसे चुने जाते हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) और (ख). तिरुचिरापल्ल स्टेशन से तामिल कार्यक्रमों को उन्नत करने के लिये कोई विशिष्ट शिकायत या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि श्रोताओं से सामान्य पत्र आते हैं जिनकी ओर तुरन्त ध्यान किया जाता है और उनका उत्तर दिया जाता है ।

(ग) स्टेशन के प्रातःकालीन प्रसारण में दिन के कार्यक्रमों के संबंध में अंग्रेजी में स्थानीय घोषणायें, तामिल में उसी प्रकार की घोषणायें के अतिरिक्त, प्रसारित की जाती हैं, क्योंकि श्रोतागण सर्वप्रदेशिक होते हैं और स्टेशन से विभिन्न किस्मों के कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं जिनमें अंग्रेजी के भी बहुत से कार्यक्रम शामिल होते हैं ।

(घ) आकाशवाणी केन्द्रों से संबद्ध कार्यक्रम सलाहकार समितियों के सदस्य उन व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसिद्ध माने जाते हैं, विशेषकर कि जिनका सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंध होता है और जो प्रसारण में दिलचस्पी रखने के लिये प्रसिद्ध होते हैं तथा जिन्हें आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा प्रसारित किये जाने वाले विभिन्न किस्मों के कार्यक्रमों की उन्नति के लिये उपयोगी सुझाव देने के योग्य समझा जाता है। सदस्य अवैतनिक होते हैं।

इलायची उद्योग

†२४३. **श्री काप्पन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल का इलायची उद्योग भावों की कमी होने, नाशक जीवों और कर के भारी बोझ के कारण नष्ट होने को हो; और

(ख) क्या सरकार ने उद्योग को नाश से बचाने के लिये किसी योजना का विचार किया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** (क) और (ख). सरकार को पता है कि बादाम के भावों में सितंबर, १९६१ से, निर्यात की मांग में कमी होने और भारत तथा अन्य उत्पादक देशों में उत्पादन में वृद्धि होने के कारण, कमी हो गई है। नाशक जीवों के विरुद्ध विभिन्न कार्यवाइयां की गई हैं। बिक्री कर से राहत का प्रश्न राज्य सरकार द्वारा विचारने का है ।

एक भारतीय केन्द्रीय मसाला एवं काजू समिति हाल ही में बनाई गई है जो इन फसलों के अनुसंधान, विकास और विपणन के सब पहलुओं पर विचार करेगी ।

†मूल अंग्रेजी में

उद्योगों के लिये राज्यों को ऋण

†२४४. **श्री बागड़ी :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को उद्योगों के लिये ऋण के तौर पर चालू वर्ष में सरकार कितनी राशि देने का विचार करती है ; और

(ख) राज्य सरकारें किन कार्यों के लिये उस ऋण का उपयोग कर सकती है।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) और (ख). १९६२–६३ के लिये उद्योगों के विकास के लिये राज्य सरकारों को केन्द्रीय ऋण सहायता के आवंटन का अभी तक फैसला नहीं किया गया है ।

पुनर्वास उद्योग निगम

†२४५. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास उद्योग निगम सीमित कलकत्ता स्थापित किया गया था और इसने सब कार्य आरंभ किया ;

(ख) इसने अपने स्थापित होने से लेकर कितना और क्या कार्य किया; और

(ग) पूर्वी बंगाल के कितने विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार मिला और निगम द्वारा आयोजित उद्योगों से उन को और कितना रोजगार मिलने की संभावना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) अप्रैल, १९५९ ।

(ख) पूर्वी पाकिस्तान से निम्न उपायों द्वारा विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दिलाना —

(१) अपने निजी या गैर-सरकारी उपक्रम के सहयोग से उद्योग स्थापित करना ।

(२) विस्थापित व्यक्तियों के प्रशिक्षण गी व्यवस्था करना,

(३) औद्योगिक सम्पदाएं स्थापित करना ;

(४) निगम विमानों की साम्य अंश पूंजी में भाग लेना और

(५) योग्य गैर-सरकारी उद्योगों को वित्तीय सहायता देना ।

निगम ने ३१ औद्योगिक इकाइयों के लिये ऋण मंजूर किया है और २ औद्योगिक संपदाएं स्थापित की है तथा ५ औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करना स्वीकार किया है ।

(ग) स्वीकृत योजनाओं में ७२८० विस्थापित लोगों को रोजगार देने की क्षमता है । अब तक लगभग ७६ विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया है ।

इंगलिस्तान को चाय का निर्यात

†२४६. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष के पहले दो महीनों में इंगलिस्तान को भारतीय चाय के निर्यात में पर्याप्त कमी हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के आंकड़े, १९६१ की तत्समानी अवधि के आंकड़ों की तुलना में कैसे हैं; और

(ग) कमी के मुख्य कारण क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) जनवरी और फरवरी, १९६१ और १९६२ में इंगलिस्तान को भारतीय माल चाय का निर्यात क्रमशः ४३३ लाख पौण्ड और ३७२ लाख पौण्ड था ।

(ग) कमी के कारण ये हो हकते हैं :—

(१) १९६१ में इंगलिस्तान द्वारा अनुमानतः अधिक आयात ;

(२) इंगलिस्तान के क्रेता लोग नए मौसम की फसल की प्रतीक्षा करना पसंद करते रहे क्योंकि मौसम के अन्त (फरवरी-मार्च) की चायें किस्म की दृष्टि से घटिया समझी जाती हैं ।

(३) अन्य कारणों के बीच, लंका की तुलना में भारतीय चाय के दाम तेज हैं, क्योंकि यहां आन्तरिक उपयोग भी अधिक है ।

उत्तर पूर्व भारत से चाय का निर्यात

†२४७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर पूर्व भारत से चाय के निर्यात में हाल में कमी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष की तत्समानी अवधि में हुए निर्यातों की तुलना में १९६२ के पहले तीन महीनों में निर्यातों में कितनी गिरावट हुई है ; और

(ग) गिरावट के मुख्य कारण क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होते ।

इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसाइटी

†२४८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूज़पेपर सोसाइटी तथा भारतीय भाषा समाचार पत्र संस्था के प्रतिनिधि अप्रैल, १९६२ के आरम्भ में उनके मंत्रालय के सचिव से मिले थे ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन मांगों पर जोर दिया था ; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूज़पेपर सोसाइटी की मुख्य मांगें ये थीं कि किसी नवीन वर्त्तमान समाचार पत्र के बारे में अखबारी कागज का लाइसेंस देने की नीति में कोई आमूल प्रतिबंधात्मक परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये और ऐसे समाचरपत्रों के परिचालन पर किसी प्रकार के भी प्रतिबन्ध नहीं लगाये जाने चाहिये । तथापि यदि सरकार ने प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक समझा, तो इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूज़ पेपर पर सोसायटी ने सुझाव दिया है कि नये या पुराने अथवा छोटे और बड़े समाचारपत्रों के बीच कोई भेद-भाव नहीं किया जाना चाहिये । तथापि भारतीय भाषा समाचारपत्र संस्था के प्रतिनिधि महसूस करते हैं कि समाचारपत्रों के परिचालन में वृद्धि पर कोई रुकावट उचित हो सकती है और उन्होंने परिणाम में वद्धि की स्लैब प्रणाली का सुझाव किया है जो विभिन्न समाचार पत्रों के बर्तमान परिचालन पर निर्भर होगा ।

(ग) उनको बताया गया है कि वर्तमान तथा नवीन समाचार पत्रों के परिचालन में वृद्धि पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के लिये जिन कदमों का विचार किया जा रहा था, वे विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति के कारण थे और उन्होंने जो बहुत सी बातें उठाई हैं उन पर अखबारी कागज के आवंटन की संशोधित नीति घोषित करने से पूर्व विचार किया जाएगा, और समय समय पर नीति में संशोधन किया जाएगा तथा विदेशी मुद्रा की तब की हालत के आधार पर विचार किया जाएगा । तदनुसार मामला विचाराधीन है ।

हथकरघे के कपड़े का निर्यात

†२४९. **श्री ओझा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि हथ करघे के कपड़े का निर्यात घट रहा है; और

(ख) यदि हां, तो निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्रवाई किये जाने का विचार किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). विवरण संलग्न है ।

विवरण

वर्ष १९६० और १९६१ में हथकरघा कपड़े के निर्यात की मात्रा में कुछ कमी हुई है । १९५९ में ३५५.७० लाख गज कपड़ा, ६५९·१० लाख रुपये के मूल्य का निर्यात किया गया था जब कि १९५८ में ५२३.५० लाख रुपये मूल्य का ३५१.७० लाख गज कपड़ा निर्यात किया गया था । १९६० में २८९·०० लाख गज कपड़े का निर्यात किया गया जिसका मूल्य ५०१.७० लाख रुपये १९६१ में भी निर्यात मात्रा और मूल्य की दृष्टि से १९६० के बराबर ही रहा ।

हथकरघा कपड़े के निर्यात को बढ़ाने के लिये विभिन्न कदम उठाये गये हैं । अखिल भारतीय हथकरघा कपड़ा विपणन सहकारी संस्था भी स्थापित की गई है जो पुराने बाजारों में निर्यात बढ़ा सके । हथकरघा निर्यात संगठन स्थापित किया गया है ताकि वह अमरीका, फ़्रांस, पश्चिमी जर्मनी आदि जैसे गैर-परम्परागत देशों में हमारे हथकरघा कपड़े के बाजार स्थापित कर सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक प्रोत्साहनात्मक योजना भी है जिसके अधीन हथकरघा कपड़े के निर्यात कोलटार रंगों, कपड़ों के रसायनों और विशिष्ट काडटों का धागा हथकरघा उद्योग के लिये आयात कर सकते हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

बिहार में सीमेन्ट की कमी

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा) : नियम, १९७ के अन्तर्गत मैं इस्पात और भारी उद्योग मंत्री का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि वह इस बारे में अपना वक्तव्य दे :—

"बिहार में सीमेंट की कमी से पैदा हुई स्थिति"

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : सारे देश में ही इस समय सीमेंट की कमी है। १९६० के बाद से देश भर में सीमेन्ट की मांग बढ़ी है। १९६१–६२ में ९२.५ लाख मीट्रिक टन मांग का अनुमान था परन्तु वास्तविक उत्पादन ८२.८ लाख मीट्रिक टन हुआ : अतः सारी मांग का पूरा किया जाना सम्भव नहीं।

इस दिशा में सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक क्षेत्र के लिये सीमेंन्ट के आवण्टन भारत सरकार द्वारा सीमेंन्ट के तीन महीनों के अनुमानित उत्पादन का विचार करके किये जाते हैं। आवंटन करने में प्रतिरक्षा, पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी परियोजनाओं आदि की आवश्यकताओं की अग्रिमता एवं अनिवार्यता को समुचित महत्व दिया जाता है।

१९६० से बिहार में सीमेंट की मांग, आवंटन और भेजे जाने के आंकड़े निम्न प्रकार से हैं :—

	मांग	आवंटन	भेजा गया
१९६०	३,९१,०७१	३,९१,०७१	४,२७,५९३ टन
१. १९६१	१,३०,०००	९१,८००	१,०५,३३० (मीट्रिक टन
२. १९६१	२,३०,०००	९१,८००	७९,६६८
३. १९६१	२,३०,०००	९४,३००	७०,५७०
४. १९६१	२,३०,०००	९६,८००	९२,४३८
१९६१ कुल योग	९,२०,०००	३,७४,७००	३,४८,००६
१. १९६२	१,५५,०००	१,०६,८००	८४,१७०
२. १९६२	१,५५,०००	९१,८००	उपलब्ध नहीं

†मूल अंग्रेजी में

१९६१ की दूसरी और तीसरी तिमाहियों और फिर १९६२ के पहले दो महीनों में रेलवे के माल डिब्बे कम मिलने के कारण कम माल भेजा जा सका । परन्तु अब स्थिति में सुधार हो रहा है । परिवहन की कठिन स्थिति और कम माल भेजे जाने के कारण बिहार के लिये १०,००० मीट्रिक टन का तदर्थ आवण्टन किया गया है जो सड़क द्वारा भेजा जायेगा ।

राज्य के लिये किये गये सीमेंट के आवण्टन में से राज्य के भीतर उसके वितरण की व्यवस्था करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है जिनको विभिन्न मांगों की प्राथमिकता निश्चित करने और आवश्यक नियन्त्रण उपायों के पुनः लागू करने की सलाह दी गई है ।

यद्यपि सीमेन्ट का उत्पादन बढ़ रहा है पर ऐसा मालूम होता है कि वर्तमान कमी की स्थिति कुछ समय चलेगी । उत्पादन की स्थापित क्षमता के अन्दर अधिकतम रखने और उद्योग के विकास की गति को अनुमोदित लक्ष्यों के अन्तर्गत बढ़ाने के लिये समस्त प्रयत्न किये जा रहे हैं; इस दिशा में लक्ष्य प्राप्त करने का यत्न किया जा रहा है और उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है । कोयले के सम्भरण की भी व्यवस्था की जा रही है । रेलवे के अतिरिक्त सड़क द्वारा भी कोयला भेजा जा रहा है ।

योजना आयोग के परामर्श से पंचवर्षीय योजना में सीमेन्ट निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का यत्न किया जा रहा है । उसके लिये परिवहन, कोयला और अन्य अपेक्षित संयंत्र इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : वैसे तो सीमेन्ट की कमी है परन्तु काला बाजार में ऊंचे दामों में काफी सीमेन्ट मिल जाता है ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : वितरण का काम राज्य सरकारों का है और वहीं इस दिशा में कुछ प्रभावी कार्यवाही कर सकती हैं ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

चलचित्र (विवाचन) संशोधन नियम

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : मैं चलचित्र अधिनियम, १९५२ की धारा ८ की उपधारा (३), के अन्तर्गत दिनांक ७ अप्रैल, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४५८ में प्रकाशित चलचित्र (विवाचन) संशोधन नियम १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ४५/६२ ।]

सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जा करने वालों का निष्कासन) संशोधन नियम

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : मैं सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों का निष्कासन) अधिनियम, १९५८ की धारा १३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १० जून, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ७७९ में

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रकाशित सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों का निष्कासन) संशोधन नियम, १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ४६/६२।]

कहवा (दूसरा संशोधन) नियम

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनूभाई शाह): मैं कहवा अधिनियम, १९४२ की धारा ४८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १४ अप्रैल, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४७१ में प्रकाशित कहवा (दूसरा संशोधन) निमम, १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ४७/६२।]

न्यूनतम मजूरी अधिनियम (केन्द्रीय) नियमों में संशोधन, कर्मचारी भविष्य निधि योजना में संशोधन

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८ की धारा ३०क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २३ दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५१२ में प्रकाशित न्यूनतम मजूरी (केन्द्रीय) तीसरा संशोधन नियम, १९६१।

(ख) दिनांक १७ फरवरी, १९६२ का अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २१३ में प्रकाशित न्यूनतम मजूरी (केन्द्राय) संशोधन नियमों १९६२। [पुस्तकालय में रख दी गई। देखिये संख्या एल० टी० ४८ /६२।]

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं का एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ३१ मार्च, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७१७ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) योजना, १९६२।

(ख) दिनांक ७ अप्रैल, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४६० में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) योजना, १९६२। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ४९/६३।]

सभा का कार्य

†संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : सभा में ३० अप्रैल, १९६२ से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये सरकारी कार्य का क्रम यह होगा :

(१) राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव के सम्बन्ध में आगे चर्चा ;

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री सत्य नारायण सिंह]

(२) अनुदानों की मांगें (रेलवेज़) १९६२–६३ पर चर्चा और मतदान;

(३) १९६२–६३ के लिये सामान्य आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : पहले तो सभा का कार्य निश्चित करने के लिये एक कार्यमंत्रणा समिति हुआ करती थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं।† कार्य-मंत्रणा समिति के गठन के लिये कार्यवाही की जा रही है।

समिति के लिये निर्वाचन

रबड़ बोर्ड

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनूभाई शाह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रबड़ अधिनियम, १९४७ की धारा ४ की उप-धारा (३) के खण्ड (ङ) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे कि अध्यक्ष निदेश दें, रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि रबड़ अधिनियम, १९४७ की धारा ४ की उप-धारा (३) के खण्ड (ङ) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे कि अध्यक्ष निदेश दें, रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानुनगो)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, १९४८ की धारा ४ की उप-धारा (३) के खण्ड (ङ) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से चार सदस्य चुनें।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, १९४८ की धारा ४ की उप-धारा (३) के खण्ड (ङ) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे कि अध्यक्ष

---

†मूल अंग्रेजी में

निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से चार सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री हरिश्चन्द्र माथुर द्वारा २६ अप्रैल, १९६२ को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी, अर्थात् :—

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

'कि इस अधिवेशन में समवेत लोक-सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिये राष्ट्रपति महोदय के अत्यन्त आभारी हैं, जो उन्होंने १८ अप्रैल, १९६२ को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है ।"

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : (बैरकपुर): कल वाद-विवाद काफी देर से आरम्भ हुआ था। इसलिये हम में से कुछ लोग उपस्थित नहीं हो सके थे। क्या आप अब हमें अपने संशोधन रखने की अनुमति देंगे?

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि पूर्व-सूचना ठीक समय पर दी गई हो, तो रखे जा सकते हैं। लेकिन यदि पूर्व-सूचना ही ठीक समय पर न दी गई हो, तो दूसरी बात है।

†**श्रीमती रेणू चक्रवर्ती** : मैं अपना संशोधन संख्या ६५ प्रस्तुत करती हूं, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में देश में दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी शक्तियों के कारण उत्पन्न हुए खतरे का उल्लेख नहीं किया है जो समाजवादी समाज के विचार को ही मिटा देना चाहती हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन सभा के सामने है।

†**श्री उ० न० ढेबर** : (राजकोट): मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

इस बात से तो सभी सहमत होंगे कि हमारे राष्ट्रपति ने संविधान के शब्दों और उसकी भावना को एक अनुकरणीय ढंग से कार्यान्वित किया है।

राष्ट्रपति ने इस सभा का स्नेह और सम्मान जीत लिया है। वह एक सन्त की तरह राष्ट्रपति भवन में आये थे, और सन्त की तरह ही जा रहे हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण की भाषा बड़ी संयत और विनम्र है। इसीलिये उसमें गिनाई गई सरकार की सफलतायें शायद कुछ लोगों को मामूली सी मालूम पड़ें। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हमारा देश अभी कुछ ही पहले तक उपनिवेश रहा है। उसकी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री उ० न० ढेबर]

अर्थ-व्यवस्था औपनिवेशिक रही है। इसलिये सभी सफलताओं को औपनिवेशिक अर्थ-व्यवस्था की पृष्ठभूमि में रखकर ही उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिये।

१९४७ का भारत एक सामंती भारत था। और यदि राज्यों का पुनर्गठन न होता, तो पता नहीं आज देश का क्या रूप होता।

औपनिवेशिक अर्थ-व्यवस्था से आधुनिक अर्थ-व्यवस्था तक बढ़ना कोई मामूली बात नहीं। पिछले दस वर्षों में एक करोड़ तीस लाख लोगों के लिये रोजगार जुटाया गया है। खाद्यान्नों का उत्पादन भी पांच करोड़ सत्तर लाख टन से बढ़कर आठ करोड़ दस लाख टन हो गया है। गांवों-गांवों में शिक्षा की सुविधायें पहुंच रही हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या ढाई करोड़ से चार करोड़ होना कोई खेल नहीं है।

अभी-अभी चुनाव खत्म हुए हैं। चुनावों के फलस्वरूप ही यह नयी संसद् बनी है। मतदाताओं ने चुनावों के जरिये स्पष्ट निर्णय दे दिया है कि वह कांग्रेस की मूलभूत नीतियों और कार्यक्रम से सहमत है। उससे स्पष्ट है कि जनता आम तौर से हमारी राजनीतिक सफलताओं और योजनाओं से सहमत है।

चुनावों के दौरान में देश का दौरा किया था। मुझे सब से अधिक संतोष यही देखकर हुआ कि शिक्षा का प्रसार देश के कोने-कोने में होता जा रहा है। हमारी शिक्षा ने हर दिशा में प्रगति की है।

लेकिन हमें देश की नई पौध को लोकतांत्रिक नागरिकता की भावना में प्रशिक्षित करना है।

लोकतंत्र ही हमारा सामान्य आधार है।

लोकतंत्र का सबसे दृढ़ आधार जनता की सहिष्णुता की भावना है। लेकिन उस श्रद्धा भावना को हमें एक वैज्ञानिक ज्ञान में बदलना है। इसलिये नागरिकता की शिक्षा का आधार पढ़ाई, लिखाई और गणित तथा विज्ञान को बनाया जाना चाहिये। तभी जनता की प्रवृत्तियां और भावनायें परिष्कृत बन सकेंगी और वे महान सामाजिक उद्देश्य के लिये उनका नियंत्रण करना सीख सकेंगे। तभी जनता सामाजिक उद्देश्यों के लिये अपनी पूरी शक्ति लगा सकेगी।

मैं मानता हूं कि इन १५ वर्षों के दौरान हमारी अर्थ-व्यवस्था के विकास से, उसके लाभ से समाज के कुछ तबके वंचित रह गये हैं। अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों और भूमिहीन मजदूरों के रहन-सहन का स्तर पहले ही बहुत नीचा है, और इधर के विकास से उसे कोई विशेष लाभ भी नहीं पहुंचा है।

इसलिये हमें उनकी दिशा सुधारने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

बंधी-बंधाई आमदनी वाले वर्गों की हालत भी बिगड़ती गई है। इसलिये कि मूल्य बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिये मूल्य-वृद्धि को रोकना परम आवश्यक है। मूल्यों में स्थायित्व लाना चाहिये।

सरकार को मूल्यों में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि सामान्य आय से ही लोग अपनी रोजाना की जरूरत की सभी वस्तुएं खरीद सकें।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में निशस्त्रीकरण सम्मेलन का भी उल्लेख किया गया है। बड़े-बड़े देश मानवीय मूल्यों की अपेक्षा राजनीतिक हितों को अधिक महत्व देने लगते हैं। मेरी अपील है कि अणु-शस्त्रों की होड़ के खिलाफ संसार का जनमत तैयार किया जाये। सभी लोग मिलकर इसका प्रयास करें।

†श्री नरसिम्हा रेड्डी (राजमपेट): राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि तीन पंचवर्षीय योजनायें राष्ट्र के एक गतिशील, सामाजिक और आर्थिक संतुलन की नींव हैं। मैं इससे सहमत नहीं। योजनाओं के दौरान धनी वर्ग और अधिक धनी बने हैं और गरीबों की गरीबी बढ़ती गई है। योजनाओं से ठेकेदारों की बन आई हैं।

योजनाओं का उद्देश्य हमने रखा था सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करना। हुआ इसका ठीक उल्टा है।

योजनाओं के फलस्वरूप गरीबी और अमीरी के बीच की खाई और चौड़ी हो गई है और देश पर ऋणों का भार लद गया है।

अभिभाषण में कहा गया है कि देश की कृषीय उत्पादन में वृद्धि हुई है। यदि कोई वृद्धि वास्तव में हुई भी है तो सरकार के प्रयत्नों के कारण नहीं। उसका श्रेय किसानों को है। सरकारी अधिकारियों ने कृषीय उत्पादन बढ़ाने के लिये सस्ते नारे लगाने के अलावा और कुछ भी नहीं किया है।

सहकारी खेती सरकार के दिमाग पर छायी रही है। उससे उत्पादन में कमी ही हुई है, वृद्धि नहीं।

अभिभाषण में कहा गया है कि ग्राम पंचायतें भारतीय परम्पराओं, हमारे परम्परागत जीवन के अनुकूल हैं। लेकिन ग्राम पंचायतें कांग्रेस संगठन की ग्राम इकाइयां बन कर रह गई हैं।

पंचायतों के फलस्वरूप अब गांवों में दलबन्दी का जोर हो गया है, और मुकदमे बाजी बढ़ती जा रही है।

और अभिभाषण का सबसे अधिक निराशाजनक भाग वह है जहां प्रतिरक्षा का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति ने देश को ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है कि देश चीन का मुकाबला करने के लिये तैयार है।

अभिभाषण में देश के अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों का भी कोई उल्लेख नहीं है। शायद इसलिये सरकार उनकी ओर ध्यान ही नहीं देती।

हां, अभिभाषण का अन्तिम भाग, जहां राष्ट्रपति ने अपनी विदाई की बात कही है, काफी मार्मिक है। वे शब्द उनक हृदय से निकले हैं। राष्ट्रपति गांधीवादी मुग के सबसे सुन्दर प्रतीक हैं, सबसे अच्छे पुष्प है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कृ० चं० पंत (नैनीताल) : राष्ट्रपति जी के व्यक्तिगत सम्पर्क में आने वाले सभी लोग उनकी हार्दिकता और उनके उदार हृदय की महानता से भली भांति परिचित हैं। उनकी सरलता, सज्जनता और विनम्रता की छाप सभी के हृदय पर गहरी पड़ी है। हम उनको मंगल कामना करते हैं।

भारतीय जनता के हृदय में राष्ट्रपति जी का नाम सदैव अंकित रहेगा। उनकी पीढ़ी देश की भाग्यशाली पीढ़ियों में से है। एक ऐसी पीढ़ी है जिसने विदेशी दासता की चुनौती स्वीकार की और देश को स्वतंत्र कराया। और, उनके पथ प्रदर्शन के लिये महात्मा गांधी जैसे युग-पुरुष मौजूद थे। उनकी पीढ़ी ने देश को स्वतंत्रता ही नहीं दिलाई, स्वतंत्र भारत की नींव भी मजबूत बनाई हैं।

एशिया और अफ्रीका के नव-स्वतंत्रता प्राप्त देशों में से एक भी ऐसा देश नहीं, जिसकी प्रशासन-व्यवस्था, और अर्थ-व्यवस्था में इतना स्थायित्व हो। उनमें से कई लड़खड़ा गये हैं। लेकिन हमारा देश है कि एक शिला की भांति अटल रखा है। यही सफलता अपने आप में काफी बड़ी है। कांग्रेस इस पर गर्व कर सकती है।

तीसरा आम चुनाव इसका सबसे बड़ा प्रमाण प्रस्तुत करता है। १२ करोड़ से अधिक व्यक्तियों ने उसमें मतदान किया था। इस एक सफलता पर हमें गर्व होना चाहिये। हां, आम चुनावों के दौरान हमारे समाज की कुछ कमजोरियां और बुराइयां भी सामने आई हैं। हमें उनसे डटकर लोहा लेना चाहिये।

भारतीय जनता एक मोटे तौर पर देश की व्यवस्था के स्थायित्व की आवश्यकता को समझती है। इसीलिये उसने कांग्रेस को ही देश की बागडोर सौंपी है। जनता के इस विश्वास के पीछे कांग्रेस की शानदार परम्परायें हैं। कांग्रेस ने जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप ही समाजवादी ढंग के समाज का उद्देश्य सामने रखा है।

पंचायती राज का परीक्षण अपने ढंग का पहला अनूठा परीक्षण है। कांग्रेस को भारतीय जनता के मूलभूत गुण पर पूरा भरोसा है।

कांग्रेस ने एशिया और अफ्रीका के नये जन्मे राष्ट्रों को दो नये विचार दिये हैं।

पहला तो यह कि लोकतंत्र के साथ योजनीकरण का तालमेल बैठाया जाये। भारत ने ने इस दिशा मे संसार को एक नया मार्ग दिखाया है।

कांग्रेस ने दूसरा मौलिक विचार यह दिया है कि हमें बड़े-बड़े देशों के गुटों में शामिल नहीं होना चाहिये। हमें तटस्थता की नीति पर चलना चाहिये। यह कांग्रेस ने ही रखा है कि हमें सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखने चाहिये। आज सभी मानते हैं कि तटस्थता की यह नीति अत्यधिक सफल रही है।

जिनेवा सम्मेलन में हमारे देश ने भरसक कोशिश की कि बड़े-बड़े राष्ट्रों में निःशस्त्रीकरण के लिये कोई एक समझौता हो जाये। परन्तु अमरीका और सोवियत संघ दोनों ही अपनी-अपनी बात पर अड़े हैं। लेकिन यह प्रश्न पूरी मानवजाति का है। आण्विक परीक्षणों से पूरा वातारण विषाक्त बनता जा रहा है। निःशस्त्रीकरण पर समूची मानवता का भाग्य

†मूल अंग्रेजी में।

निर्भर है। हमारे प्रधानमंत्री को इसलिये अपने प्रयत्न और भी जोर शोर से जारी रखने चाहिये।

यह बड़ा अच्छा है कि नेपाल नरेश की पहलकदमी से अब नेपाल और भारत के बीच गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं।इससे दोनों देशों के परम्परागत सम्बन्ध और दृढ़ होंगे।

यह तो सही है कि दो योजनाओं की सफलता पर हमें गर्व होना चाहिये। लेकिन आत्म्-तुष्टि की कोई गुंजाइश नहीं। औद्योगिक और कृषीय उत्पादन में वृद्धि हुई है, पर वृद्धि की गति उतनी तेज नहीं रही।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के जितने लक्ष्य हैं उनके पूरे होने पर भी देश को न्यूनतम आवश्यकता की चीजें ही मिल पायेंगी। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि साथ ही देश की जन-संख्या भी तेजी से बढ़ती जारही है।

हमें कोयले के परिवहन में गतिरोध पैदा नहीं होने देना चाहिये।

अब मैं अपने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं।

हमे ईंधन सम्बन्धी अपनी नीति पर दूरदर्शिता से विचार करना चाहिये।

विद्युत् के अधिक से अधिक संसाधनों को खोजने और उनके उपयोग का प्रयास करना चाहिये। हमें जल-विद्युत और तापीय विद्युत ही नहीं, अन्य प्रकार की विद्युत्--अणु से उत्पन्न विद्युत् के उत्पादन पर भी विचार करना चाहिये।

परिवहन के साधनों के विस्तार के सिलसिले में हमें पिछड़े हुए प्रदेशों की ओर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिये।

देश की जनता ने हमें--इस सभा को पांच वर्ष के लिये अपना भाग्य सौंपा है। हमें यह दायित्व निभाने की क्षमता अपने आपमे पैदा करनी चाहिये।

मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

†**श्री उ० म० त्रिवेदी** (मंदसौर): हमें दुख है कि राष्ट्रपति अपने पद से निवृत हो रहे हैं।

तथापि मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि सरकार ने आंकड़ों को रखनेका एक नया तरीका निकाल लिया है जिसके अनुसार सरकार अपने हित की बा ों का प्रचार करती है जबकि अन्य बातों का प्रचार नहीं किया जाता है जो बातें सरकार के हित में नहीं होती हैं उनको छिपा दिया जाता है।

प्रगति का बड़ा राग अलापा जा रहा है जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। हमारा ऋण बढ़ गया है, कर बढ़ गये हैं, खाद्यान्न, कपड़ा और आवास का व्यय बढ़ रहा है, भाषण की स्वतंत्रता कम कर दी गयी है निजी सम्पत्ति को बिना प्रतिकर के ग्रहण किया जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने और रेलवे दुर्घटनाओं से अधिकाधिक व्यक्ति मारे जा रहेहैं और न्याय प्रशासन बहुत महंगा हो गया है।

---

†मूल अंग्रेजी मे

[श्री उ० मु० त्रिवेदी]

आम चुनाव में कांग्रेस ने जनता के मत प्राप्त करने के लिये जिन तरीकों को अख्तयार किया उन्हें किसी भी दृष्टि से शोभनीय नहीं कहा जा सकता है। जनता से जाति अथवा सम्प्रदाय के आधार पर अपील की गयी। इस प्रकार की कार्यवाही देश को विघटन की ओर ले जाती है। देश में किसी भी प्रकार के अल्पसंख्यक वर्ग, भाषायी अथवा धार्मिक नहीं होने चाहियें। समस्त राष्ट्र एक है।

सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में चीन या पाकिस्तान द्वारा अतिक्रमण का कहीं भी उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से हम एक शक्तिशाली राष्ट्र हैं। प्रधान मंत्री का यह कहना कि वह क्षेत्र बहुत विशाल है और हम प्रत्येक इंच भूमि की रक्षा नहीं कर सकते हैं गलत है क्या हम भी दूसरे मौकों से नहीं घुस सकते हैं।

प्रत्येक देश की सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने नागरिकों की रक्षा करे तथापि कर्नल भट्टाचार्य को भारतीय भूमि में से उठा लिया गया और हम देखते रह गये। इसी प्रकार जब हमारे कुछ सिपाही मारे गये थे तो हम केवल प्रतिकर की मांग करते ही रह गये।

इस समय चीनियों ने हमारे १५००० मील पर कब्जा कर लिया है। हम इस भूमि के विधिसम्मत अधिकारी थे, चीन ने उस पर अधिकार कर लिया है, तथापि आप केवल यही कह रहेहैं कि यदि वे और आगे बढ़ेंगे तो हम कार्यवाही करेंगे।

यह बात भी समझ में नहीं आती कि जब चीनियों ने लोंगजू खाली कर दिया है तो हमारी सेनाओं ने उसे अपने अधिकार में क्यों नहीं कर लिया?

†**श्री कदिरमण** (गोबिचेट्टपलयम्): मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

राष्ट्रपति के इस पद पर काम करने से इस पद का महत्व बढ़ा है। हमें पूर्ण विश्वास है है कि हमारे राष्ट्रपति जहा भी रहेंगे वहां वह पूर्ण योग्यता से कार्य करेंगे।

हमारे देश में खाद्यान्नों का जो उत्पादन हुआ है उसका कारण दोनों योजनाओं की सफलता है वस्तुतः योजनाओं की सफलता के कारण ही देश में खाद्य का उत्पादन बढ़ सका है।

यद्यपि खाद्य का उत्पादन बढ़ा है तथापि उसका लाभ उत्पादक को नहीं मिला है। इसका कारण यह है कि उन्हें मिलने वाली कीमत कम होती है इसी प्रकार उपभोक्ता को भी खाद्यान्न बहुत ऊंचे दामों में मिलता है फल यह होता है कि बिचौलिये सारा मुनाफा कमाते हैं। वस्तुतः उपभोक्ता को उत्पादक की कीमत से १५ प्रतिशत अधिक मे खाद्यान्न प्राप्त होना चाहिये। इसके लिये हमें उत्पादक व उपभोक्ता सहकारी समितियां होनी चाहिये इससे लाभ बिचौलियों को नहीं जाने पायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

वस्तुतः श्रमिक ही देश में सम्पति का उत्पादन करते हैं अतः यह अच्छा नहीं कि वे काम करने की नीति को अपनायें, अपितु उन्हें चाहिये कि वे अधिक काम करें और तब मजूरी बढ़ाने की मांग करें ।

कृषकों को चाहिए कि वे खाद इत्यादि का उत्पादन करें तथा उसका परिरक्षण करें। इन से उत्पादन में बहुत वृद्धि हो सकती है ।

†**श्री शिव चरण गुप्त** (दिल्ली सदर) : मैं श्री हरिश्चन्द्र माथुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

हमें राष्ट्रपति के अभिभाषणों और लेखों से बहुत प्रेरणा और प्रोत्साहन मिला है । १९४७ में जब दिल्ली में सांप्रदायिकता की आग लगी हुई थी उस समय इन्होंने सौहार्द्र और प्रेम बढ़ाने में बहुत योग दिया था। डा० राजेन्द्र प्रसाद सेवा और त्याग के मूर्तिमान उदाहरण हैं।

पिछले आम चुनावों के परिणाम से मालूम होता है कि देश की जनता कांग्रेस की नीतियों और कार्यक्रमों का समर्थन करती है । यह बड़े दुख की बात है कि कुछ राजनैतिक दलों ने चुनाव के दौरान संविधान के प्रति असम्मान प्रदर्शित किया और जनता में जातीय एवं साम्प्रदायिक भावना उत्पन्न करने का प्रयत्न किया राजनैतिक दलों का यह कर्त्तव्य है कि सार्वजनिक जीवन के ऐसे प्रतिमान निर्धारित करें जिससे जनता का प्रजातन्त्र में विश्वास सुदृढ़ हो सके।

देश में औद्योगिकरण के साथ साथ नगरों की ओर जनसंख्या का सुझाव बढ़ रहा है। सरकारी उद्योग क्षेत्र में आवास संबंधी आवश्यकताओं विशेषकर कस्बों और नगरों में इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिये समुचित उपबंध नहीं किया गया है। सरकार को न केवल प्लाट ही तैयार करके लोगों को देने चाहियें वरन् स्वयं मकानों का निर्माण भी करना चाहिये और उन्हें निम्न एवं मध्य वर्गी के व्यक्तियों को किराये पर देना चाहिये । राष्ट्रीय आवास बोर्ड की स्थापना यथाशीघ्र की जानी चाहिये ।

दिल्ली में औद्योगिक प्लाटों के मूल्यों की सीमा उद्योगों के हित को देखते हुए बढ़ाई जानी चाहिये और इस प्रयोजन के लिये पर्यावर्ती निधि (रिवार्ल्विग फंड) की राशि बढ़ायी जानी चाहिये ।

दिल्ली की समस्त झोपड़ियों और झुग्गियों को तोड़ना संभव नहीं है । वर्तमान योजना को नया रूप देना होगा और उसके अन्तर्गत एक ऋण योजना भी बनायी जानी चाहिये ।

अधिकाधिक वस्तुओं पर बिक्री कर हटा कर उसे उत्पादन शुल्क में मिला देना चाहिये । इस बात को तुरंत अमल में लाया जाये ।

दिल्ली को प्रतिनिधि शासन देने के लिये तत्काल कार्यवाही की जाये । इसके अभाव में दिल्ली की कई समस्याओं में अनुचित रूप से विलम्ब किया जा रहा है,

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री शिव चरण गुप्त]

दिल्ली की समस्याओं पर न्यायोचित रूप से विचार करने के लिये यह आवश्यक है कि दिल्ली के ही व्यक्तियों को वहां की समस्याओं के संबंध में निर्माण का अधिकार दिया जाये ।

†श्री राजाराम (कृष्णगिरि) : मुझे दुःख है कि इस अभिभाषण में जनता के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है ।

कीमतों की वृद्धि की समस्या जो कि एक महत्वपूर्ण रूप ले चुकी है उसका कहीं जिक्र ही नहीं है । मूल्य नीति में कृषकों को दी जाने वाली कीमत भी आती है । न तो उन कीमतों को निश्चित करने के कुछ कदम उठाये गये हैं और न ही दैनिक आवश्यकताओं की कीमतों पर नियंत्रण किया गया है ।

तमिलनाड में पंचायतों से यह कहा गया है कि वह प्रत्येक भेड़ या बकरी अथवा प्रत्येक वृक्ष पर कर लगायें । पंचायतों ने सरकार को यह लिख कर भेज दिया है कि जनता के इस वर्ग पर कर लगाना असंभव है । राष्ट्रपति के अभिभाषण में चुनावों में निहित स्वार्थी द्वारा अपनाई गई बुराइयों का उल्लेख नहीं है । साम्प्रदायिकता और जातिवाद का सहारा लिया गया था, रुपया पानी की तरह बहाया गया था । और कुछ राज्य में सरकारी मशीनरी को भी चुनाव के काम में लाया गया था । तामिलनाड़ में सत्तारूढ़ दल ने विरोधी दलों के नेताओं को हराने का विशेष प्रयत्न किया गया था । सरकार ने तमिलनाड़ की प्रति जो उपेक्षा दिखाई है, उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा । तामिलनाड़ को उसका हिस्सा मिलना चाहिये ।

अभिभाषण में दक्षिण में भारी उद्योगों की समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया । सेलम में लोहे और इस्पात के कारखाने के लिए हमारी मांग पुरानी है । सब प्रकार के भारी उद्योग देश के उत्तरी भाग में हैं। दक्षिण को भी संतुष्ट करना चाहिये।

अभिभाषण में मद्रास राज्य को तमिलनाड़ में परिवर्तित करने का भी कोई उल्लेख नहीं, यद्यपि यह मांग भी बहुत पुरानी है । जनता के सब प्रतिनिधि इस मांग के पक्ष में हैं—पंडित, व्यापारी, साहित्यक लोग, विद्यार्थी, किसान सब इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। सरकार को जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिये ।

†श्री नी० कान्तन नायर (क्विलोन) : अभिभाषण में देश की सभी समस्याओं का जिक्र होना चाहिये । इस दृष्टि से यह अभिभाषण त्रुटिपूर्ण है ।

देश के सभी भागों के प्रति विशेषकर दक्षिणी भाग और केरल के प्रति न्याय होना चाहिये । देश के वित्तीय और औद्योगिक विकास पर कड़ा नियंत्रण होना

†मूल अंग्रेजी में

चाहिये भावात्मक एकता भी एक प्रमुख समस्या है । इस सम्बन्ध में सरकार का कर्तव्य है कि वह समस्त जनता को संतुष्ट रखने का प्रयत्न करे ।

केरल एक अत्यन्त उपेक्षित राज्य है । पहली और दूसरी योजनाओं में उसकी सर्वथा उपेक्षा की गई है । उस राज्य का कोई भी भारी उद्योग आवंटित नहीं किया गया है ।

गत दस वर्षों में केरल की जन संख्या में ३० लाख से भी अधिक वृद्धि हुई है। ५३ प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है, परन्तु प्रति व्यक्ति केवल ३० सेन्ट भूमि उपलब्ध है ।

केरल में केवल सात कारखाने ऐसे हैं जिन में एक हज़ार से अधिक मजदूर काम करते हैं। नारियल जटा तथा काजू उद्योगों में जो वहां का प्रमुख उद्योग है, मजूरी और उत्पादन बहुत कम है । ३२ प्रतिशत परिवारों की आय ८ रुपये प्रतिमास से भी कम है । खाद्यान्न के मामले में इस क्षेत्र में सदा कमी बनी रही है । जब केरल की आर्थिक स्थिति इस प्रकार की है, तो सरकार को उस राज्य के विकास के लिए अवश्य कदम उठाने चाहियें । संसाधनों के समन्याय वितरण का उद्देश्य क्रियान्वित नहीं किया गया है । सरकार की वर्तमान नीति विभिन्न क्षेत्रों की असमानता को बढ़ा ही रही है । पिछड़े क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देना और उनको देश के अन्य भागों की बराबरी पर लाना सरकार का पहला कर्त्तव्य है । सरकार की वर्तमान नीति से केरल की जनता बहुत असंतुष्ट है । इस संबंध में उपचार किये जाने चाहियें नहीं तो राष्ट्रीय एकता का लक्ष्य प्राप्त करना कठिन होगा ।

†**श्री रा० गि० दुबे** (बीजापुर उत्तर) : मैं श्री माथुर द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मैंने साम्यवादी दल के उपनेता और एक निर्दलीय सदस्य के भाषण सुने हैं । उन दोनों ने सरकार पर आरोप लगाये हैं । किन्तु स्वतंत्र दल के वक्ता ने साम्यवादी दल के वक्ता की दलीलों का खंडन किया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण गैर-सरकारी कार्य की समाप्ति के बाद जारी रख सकते हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सदन गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेगा। कुछ विधेयक पुरःस्थापित किये जाने हैं।

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा ३४२ और ५६२ का संशोधन)

†**श्री म० ला० द्विवेदी** (हमीरपुर) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं : कि

"दंड प्रक्रिया संहिता १८९८ में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि ।

"दंड प्रक्रिया संहिता १८९८ में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाँये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : महोदय मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

कारखाना संशोधन विधेयक

(नई धारा १क का रखा जाना)

†**श्री स० चं० सामन्त** (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कारखाना अधिनियम, १९४८ में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कारखाना अधिनियम १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री स० चं० सामन्त** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

विधान परिषद् (रचना) विधेयक

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राज्यों की विधान परिषदों की रचना तथा तत्संबंधी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"कि राज्यों की विधान परिषदों की रचना तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री श्रीनारायण दास** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं :

---

†मूल अंग्रेजी में

असैनिक उड्डयन (लाइसेंस देना) विधेयक

†**श्री जं० ब० सिं० विष्ट** (अल्मोड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि कुछ उडानों के लिये लाइसेंस देने और विमान निगम अधिनियम १९५३ की कुछ संगत धाराओं का निरसन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : यह विधेयक भारत की संचित निधि में से खर्च करने की व्यवस्था करता है । संविधान के अनुच्छेद ११७ के अन्तर्गत इस के लिए राष्ट्रपति की सिफ़ारिश चाहिये । मैं इस आधार पर इस के पुरः स्थापन का विरोध करता हूं ।

†**श्री जं० ब० सिं० विष्ट** : मेरे विचार में इस से कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना पारित नहीं किया जा सकता । इस के पुरःस्थापन पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती ।

प्रश्न यह है कि :

"कि कुछ उडानों के लिए लाइसेंस देने और विभाग विमान निगम अधिनियम, १९५३ की कुछ संगत धाराओं का निरसन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री जं० ब० सिं० विष्ट** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक

†**श्री स० चं० सामन्त** (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि भारतीय डाकघर अधिनियम १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह हैं :

"कि भारतीय डाकघर अधिनियम, १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:-स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**श्री स० चं० सामन्त** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

सरकारी नौकरी (निवास की आवश्यकता) संशोधन विधेयक

(धारा ५ का संशोधन)

†**श्री ज० ब० सिं० विष्ट** (अल्मोड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सरकारी नौकरी (निवास की आवश्यकता) अधिनियम १९५७ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह हैं :

"कि सरकारी नौकरी (निवास की आवश्यकता) अधिनियम १९५७ में संशोधन करने वाले विधेयक का पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री ज० ब० सिं० विष्ट** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा ८७ ख का लोप)

श्री मा० ला० द्विवेदी (हमीरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता १९०८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

---

†मूल अंग्रजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह हैं :

"कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता १९०८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री मा० लॉ० द्विवदी** : मैं विधेयक को पेश करता हूं ।

जमा करने और अनुचित लाभ उठाने को रोकना विधेयक

†**श्री म० ला० द्विवेदी** (हमीरपुर) : मै प्रस्ताव करता हूं :

"कि दैनिक उपयोग की अत्यावश्यक वस्तुओं को जमा करने और उससे अनुचित लाभ उठाने को रोकने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह हैं :

"कि दैनिक उपयोग की अत्यावश्यक वस्तुओं को जमा करने और उससे अनुचित लाभ उठाने को रोकने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं :

नारियल-जटा उद्योग संशोधन विधेयक

(धारा १०,२०, २१ और २६ का संशोधन)

†**श्री स० चं० सामन्त** (तामलुक) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि नारियल-जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि नारियलजटा उद्योग अधिनियम, १९५३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० चं० सामन्त** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

चलचित्र उद्योग कामगार (काम की दशा में सुधार) विधेयक

†**श्री जं० व० सिं० विष्ठ** (अल्मोड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि चल-चित्र उद्योग में काम करने वाले व्यक्तियों की मजूरी निश्चित करने और उन के काम की दशा सुधारने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि चल-चित्र उद्योग में काम करने वाले व्यक्तियों की मजूरी निश्चित करने और उन के काम की दशा सुधारने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री जं० ब० सिं० विष्ठ** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं :

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक

(नई धारा २३क का रखा जाना)

†**श्री जं० ब० सिं० विष्ठ** (अल्मोड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ मे अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री जं० ब० सिं० विष्ठ** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं :

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव—जारी

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा पुनः जारी करेंगे ।

†**श्री ल० ना० भंजदेव** (क्योंझर) : हम राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए आभारी हैं । उन्होंने ने अपना ऊंचे पद का काम बहुत अच्छी तरह निभाया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं श्री ढेबर से सहमत हूं कि यद्यपि सरकार ने अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिए कुछ काम अवश्य किया है । परन्तु वह पर्याप्त नहीं है । उड़ीसा के पूर्वी क्षेत्र में, जहां से मैं आया हूं, बहुतसी अनुसूचित आदिम जातियां हैं, जिन की भूगोल और ऐतिहासिक दृष्टियों से उपेक्षा की गई है । इस बात से बहुत खतरा पैदा हो सकता है । अभी समय है कि उस क्षेत्र के आर्थिक विकास का प्रत्यन किया जाये और उस खतरे को दूर किया जाये, इस क्षेत्र को उचित सिंचाई की सुविधाओं द्वारा भारत में अनाज का भंडार बनाया जा सकता है । यदि फसलों को कीड़ों से और बाढ़ से बचाने का प्रबन्ध किया जाये, तो इस तटीय क्षेत्र को अनाज का भंडार बनाया जा सकता है । मुझे खेद है कि इस क्षेत्र में रेल और सड़क परिवहन की सुविधाओं को विकास के लिये पर्याप्त धन नहीं दिया जा रहा । ऐसा करने से विदेशी मुद्रा की आय बढ़ जायेगी क्योंकि खनिज पदार्थों का निर्यात बढ़ जायेगा ।. कलकत्ता पत्तन में भीड़भाड़ होने के कारण मेंगनीज और लौह अयस्क का पर्याप्त मात्रा में निर्यात नहीं हो रहा । इसलिये परादीप पत्तन का यथाशीघ्र विकास किया जाना चाहिये । प्रस्तावित एक्सप्रैस राजपथ से हमारी समस्त आवश्यकता पूरी नहीं होगी । यह अधिक अच्छा होगा यदि रेलवे लाइन को बारांबिल से जाजपुर क्योंझर तक बढ़ा दिया जाये ।

मालडिब्बों की कमी के कारण छोटे खान मालिकों के सामने संकट की स्थिति है । उससे बेरोजगारी फैलने की संभावना है । इसके अतिरिक्त उस क्षेत्र में बैंक की सुविधाएं नहीं हैं ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अधिक महंगाई भत्ता देने का उन्हें कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ जायेंगे । निश्चित आय वर्गों को राहत देने के लिये मूल्य स्थिर करने के लिये कुछ कदम उठाये जाने चाहिये ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : राष्ट्रपति का यह अभिभाषण बहुत ही निराशाजनक है । वैसे देखा जाये तो इसमें वादविवाद के लिये कुछ है ही नहीं । लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि मैं किसी प्रकार राष्ट्रपति के प्रति असम्मान प्रकट कर रहा हूं । मेरा अभिप्राय केवल यही है कि सत्ता आजकल ऐसी सरकार के पास है, जो कुछ करना नहीं चाहती । हम यह जानना चाहते थे कि सरकार आगामी वर्षों में समस्याओं को किस प्रकार हल करेगी । लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने मानो अपनी सारी कार्य क्षमता ही समाप्त कर दी है । मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या यह वर्तमान सरकार प्रजा की इच्छा के अनुसार है । हमारा उद्देश्य देश में समाजवादी समाज की स्थापना करना है लेकिन मुझे संदेह है कि सत्तारूढ़ व्यक्तियों में से बहुत से ऐसे निकल आयेंगे जिनका इस उद्देश्य में विश्वास ही नहीं है । फिर कैसे यह आशा की जा सकती है कि उस महान उद्देश्य की पूर्ति करेंगे । इसके अलावा हमारा लोकतंत्रीय ढांचा बहुत खर्चीला हो गया है । हर राज्य के मंत्रिमंडल में मन्त्रियों की संख्या बहुत काफी है । इन मंत्रियों की अधिक संख्या इस कारण से रखी गई है कि ये लोग विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय नीति की बात है मुझे इस सम्बन्ध में केवल यही निवेदन करना है कि वह बहुत ही सन्तोषजनक है । हम उन देशों की घोर भर्त्सना करते हैं, चाहे वे कोई क्यों न हो, जो विश्वमत की अवहेलना कर के ये अणु परीक्षण कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सरेन्द्र नाथ द्विवेदी]

चीनी आक्रमणों का मुकाबला करने के बारे में इस अभिभाषण में कोई संकेत नहीं किया गया है। काश्मीर में स्थिति क्या है इस बारे में भी हम कुछ नहीं जानते हैं। काश्मीर का यह मामला फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में जा रहा है। हमारे प्रतिरक्षा मंत्री का कहना है कि हमारा रुख इस बात पर निर्भर करता है कि श्री जफरुल्ला खां क्या कहते हैं लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी भारतीय प्रतिनिधि श्री झा का कहना है कि युद्धविराम पंक्ति के आधार पर हम बातचीत करेंगे। हम चाहते हैं कि काश्मीर का यह मामला यथाशीघ्र निपट जाये और उस बारे में बातचीत शुरू की जाये। जहां तक इस देश की बात है काश्मीर का इसमें मिलना पूरा एवं अन्तिम रूप ले चुका है। क्या सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि इस संबंध में बातचीत युद्ध विराम पंक्ति के आधार पर हो। जहां तक चीनी आक्रमणों की बात है ऐसा मालूम होता है कि हमारी सरकार विरोधपत्रों के भेजने के बारे में विशेषज्ञ हो गई है। विरोध पत्र तो बहुत से भेजे जायेंगे लेकिम चीन द्वारा अधिकृत भारतीय भाग को खाली कराने के बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे हैं।

सभा में हम बराबर इस बात पर जोर देते रहे हैं कि पड़ौसी देशों से हमारे संबंध अच्छे हों। यह अच्छी बात है कि नेपाल के महाराजा अभी भारत आये थे। नेपाल में क्या हो रहा है यह हमारे लिये बहुत ही महत्व का है क्योंकि वह हमारा पडौसी देश है। यद्यपि हम नेपाल अन्तर्देशीय मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते तो भी हम वहां की घटनाओं के बारे में चिन्तित हैं। हम चाहते हैं कि सरकार इस बारे में स्पष्टीकरण दे कि नेपाल महाराजा के यहां आने से एक दिन पूर्व दो पत्रकारों को क्यों निकाला गया था।

जहां तक सुयोजित अर्थव्यवस्था की बात है। मामला कुछ ठप्प सा नजर आता है। जब कि इस संबंध में कुछ उन्नति होनी चाहिये थी। राज्यों के अधिकारों में वृद्धि होने तथा गैर सरकारी क्षेत्रों की उन्नति होने के कारण यह स्पष्ट है कि हमारी प्रगति समाजवाद की ओर नहीं बढ़ रही है बल्कि कहीं और ही जा रही है ? हम योजना की बहुत चर्चा करते हैं। लेकिन सरकारी क्षेत्रों का विकास हो रहा है परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं।

योजना का सही परीक्षण इस बात पर निर्भर करता है कि समाज की असमानता एवं विभिन्नता में कितना परिवर्तन हुआ है। एवं इस संबंध में हम कितनी कार्यवाही कर रहे हैं। किन्तु हम देखते हैं कि जनसाधारण की कठिनाइयां बहुत बढ़ रही हैं तथा शक्ति कुछ व्यक्तिओं के हाथों में बहुत तेजी से केन्द्रित हो रही हैं। गैर सरकरी क्षेत्र में उद्योगपति बहुत तेजी से तथा बड़े बड़े नफे कमा रहे हैं। धनी लोग और भी अधिक धनी होते जा रहे हैं।

विदेशी सहयोग लेने की छूट केवल सरकार तक ही सीमित नहीं है बल्कि गैर सरकारी क्षेत्र भी इस सहयोग से लाभ उठा सकते हैं। किन्तु हम देखते हैं कि विदेशी व्यवसायों से सहयोग का तरीका ऐसा है कि केवल सुगठित व्यवसाय ही लाभ उठा रहे हैं। छोटे लोगों तथा उद्योगपतियों को विदेशी सहयोग का लाभ न के बराबर मिलता है। मालूम हुआ है कि योजना आयोग तथा समवाय विधि प्रशासन ने समवायों की एक सूची तैयार की है जिनको कि विदेशी सहायता दी जायेगी। अच्छा हो कि यह सूची शीघ्र ही प्रकाशित कर दी जाये ताकि लोगों को पता चल जाये कि किस किस को इस से लाभ होगा। राष्ट्रीय आय के वितरण के लिये महालानोविस समिति बनाई गई थी हम चाहते हैं कि उसके बारे में बताया जाय कि क्या हुआ। मालूम हुआ है कि वे अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं किन्तु थोड़े बहुत आंकड़े जो उन्होंने इकट्ठा किये हैं उनसे स्पष्ट है कि लाभ पाने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है। यही कारण है कि इसका प्रतिवेदन भी प्रकाशित नहीं हुआ है।

अभिभाषण की कंडिका ७ के अनुसार खाद्य स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। कृषि उत्पादन भी स्थिर रूप से बढ़ रहा है। किन्तु मेरा विचार है कि जब तक भूमि सुधार नहीं हो जाते तब तक स्थिति इसी प्रकार की चलेगी। आवश्यकता इस बात की है कि किसानों को अधिक प्रोत्साहन मिलना चाहिये। उन्हें अधिक उर्वरक तथा सिंचाई की सुविधायें दी जानी चाहियें। जब तक हम अपने रुख को नहीं बदलते तथा भूमि संबंधी सुधारों को ठीक प्रकार से क्रियान्वित नहीं करते तब तक हमारा उत्पादन नहीं बढ़ सकता।

हम दूसरे देशों की नकल करते हैं। लेकिन अपने देश की स्थिति तक नहीं देखते। उदाहरण के लिये जनता कार ही लीजिए। चूंकि अन्य देशों में जनता कारें हैं अत : हम भी चाहते हैं कि हमारे यहां भी हो। लेकिन किस चीज को पहले बनाया जाय और किस को बाद में इसका विशेष ध्यान रखना चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि औद्योगिक क्षेत्र में हमें प्राथमिकताओं के बारे में सर्वथा परिवर्तन करना चाहिये। ताकि लोगों की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

हम पंचायत राज्य की बात करते हैं। पता नहीं कि इसका रूप क्या होगा। किन्तु इतना मैं कह सकता हूं कि पंचायतें आज कल शासी दल का राजनैतिक हथियार बनी हुई हैं? केवल जब उन्हें योजना निर्माण तथा अर्थ व्यवस्था के मामलों में सांविधिक अधिकार दिये जायेंगे, हम अपने देश में प्रजातंत्रीय ढांचे में सुधार करने के समर्थ हो सकेंगे। इस अभिप्राय से हमें अपने संविधान में संशोधन करना चाहिये। हमें बताना चाहिये कि भविष्य में पंचायतों का स्वरूप क्या होगा।

मैं चाहता हूं कि देश में राष्ट्रीय एकता हो। अत : देश में फूट की प्रवृत्तियों को रोकने के लिये सुदृढ़ उपाय किये जायें। राष्ट्रीय एकीकरण सम्मेलन में जो आचरण संहिता तय हुई है उस पर समस्त राजनैतिक दलों को दृढ़ता से चलना चाहिये।

†**श्री पु० र० पटेल** (पाटन) : मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। राष्ट्रपति ने अपने भाषण की कंडिका ७ में कृषकों की स्थिति के बारे में जो उल्लेख किया है निश्चय ही वे इसके लिये उनके आभारी होंगे।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

राष्ट्रपति नें अपने अभिभाषण में कहा है कि कृषि उत्पादों में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। इससे यह पता चलता है कि राष्ट्रपति उस क्षेत्र में हुई प्रगति से सन्तुष्ट नहीं हैं जहां तक कपास का संबंध है, दूसरी योजना में निर्धारित लक्ष्य से उत्पादन कहीं कम हुआ है। दूसरी योजना में ६५ लाख गांठ उत्पादन करने का लक्ष्य था जब कि उत्पादन कुल ४५ लाख गाठें ही हुई। तीसरी योजना में हमारा लक्ष्य ७० लाख गांठ का है। लेकिन इस योजना की पहली साल में उत्पादन बहुत ही कम हुआ है। और उससे यह प्रकट होता है कि हम अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। लेकिन मेरा विचार है कि यदि हम गम्भीरता से विचार करें और सही ढंग से काम करें तो हमारा उत्पादन बढ़ सकता है। और हम अपनी कृषि संबंधी नीति को बदल दें तथा सक्रिय उपाय करें तो उत्पादन अगले पांच वर्षों में ही दूगना हो सकता है? हमें इसकी सुनिश्चित व्यवस्था करनी चाहिये कि राज्यों में जो कृषि मंत्री हो उन्हें कृषि के बारे में वास्तविक जानकारी हो

जहां तक मूल्यों सम्बन्धी हमारी नीति की बात है। मेरा निवेदन है कि हमारी नीति त्रुटिपूर्ण है। यह तथ्य कि कपास के प्रारम्भिक तथा अधिकतम मूल्य पहले ग्यारह वर्षों में उसी स्तर पर रहेहैं इसका एक उदाहरण है। तीसरी योजना में नियत परियोजना को पूरा नहीं किया गया है क्योंकि कृषि की वस्तुओं के सम्बन्ध में कोई लाभप्रद न्यूनतम मूल्य निश्चित नहीं किये गये हैं। मूल्य निर्धारण

---

† मूल अंग्रेजी में

[श्री पु० र० पटेल]

उस समय करने से कोई लाभ नहीं होता जब कि किसान लोग अपनी चीजें बेच चुकते हैं। साथ ही यह भी ठीक नहीं है कि मूल्य निर्धारण करते समय किसानों से परामर्श तक नहीं लिया जाता है। यहां तक कि किसानों की स्थिति जानने वाले व्यक्तियों तक से भी परामर्श नहीं लिया जाता। इन सब बातों को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि प्रशुल्क आयोग के सदृश एक आयोगकी स्थापना की जाये जो विभिन्न कृषि वस्तुओं के उत्पादन मूल्यों के सम्बन्ध में जांच करे। प्रस्तावित आयोग बोने के समय इन वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करे। मूल्य निर्धारित करते समय किसानों के संगठन से भी परामर्श लिया जाय। हमारे सामने अब एक ही रास्ता रह गया है और वह है कृषि उत्पादन बढ़ाकर दुगना करना ? और कृषि के बारे में हमें अपनी नीति में फिर से परिवर्तन करना चाहिये। किसानों को लाभप्रद मूल्यों के बारे में आश्वासन मिलना चाहिये।

†**श्री शामनाथ** (दिल्ली चांदनी चौक) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। राष्ट्रपति का यह अंतिम अभिभाषण है। वह देश के सच्चे नेता हैं। उन्होंन देश के लिये अपने जीवन को लगा दिया है।

गत वर्षों में हमने काफ़ी सफलताएं प्राप्त की है। यह बड़े गौरव की बात है कि हमारे देश में चौथी बार लोकतंत्रीय सरकार की स्थापना हुई है जब कि पड़ौसी देशों में सैनिक राज्य बन चुके हैं। प्रोद्योगिक विकास भी हुआ है। लोगों के जीवन स्तर में भी धीरे धीरे विकास हुआ है। भूतपूर्व पुर्तगाली बस्तियों का एकोकरण एक अत्यन्त उल्लेखनीय सफलता है।

यह खेद की बात है कि पिछले पांच वर्षों में कुछ असफलतायें भी देखने में आई हैं। कुछ फूट डालने वाली प्रवृत्तियों ने भी अपना सर उठाया है। इस सम्बन्ध में देश के किन्हीं स्थानों में हुए उपद्रवों का उल्लेख किया जा सकता है। चिंता का एक विषय हमारी भूमि पर चीनियों की उपस्थिति है।

अभिभाषण में हमारी बढ़ रही जन संख्या का कोई उल्लेख नहीं है। यदि हम अपनी जन संख्या में हो रही वृद्धि को न रोक सकें तो हम अपने उद्देश्य की पूर्ति न कर सकेंगे। भ्रष्टाचार एक और बुराई है जिसे दृढ़ता से दबाना होगा। इसी प्रकार लालफीताशाही को भी, जिससे हमारी कई बड़ी योजनाएं असफल रह गई हैं, जड़ से उखाड़ना होगा। उद्योगों को भी बढ़ावा देना होगा। उनके समुचित विकास के लिये वातावरण तैयार करना होगा। यह कल्पना गलत है कि सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र परस्पर विरोधी हैं न्यायोचित प्रोत्साहन देकर उद्योग की उन्नति के लिये समुचित वातावरण पैदा करना आवश्यक है। हमारे समुचित विकास के मार्ग में कोयले के परिवहन तथा विद्युत की कमी की कठिनाइयां हैं और रुकावटें है। रेलवे हमारी तीसरी योजना में परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं के निर्धारण को ठीक प्रकार से नहीं कर सकी है। उन्हें इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अधिक सबल प्रयत्न करने चाहियें। निर्यात को बढ़ाने तथा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति को सुधारने की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

†**श्री स्वैल** (आसाम-स्वायत्तशासी ज़िले) : इस धन्यवाद के प्रस्ताव के बारे में मैंने एक महत्वपूर्ण संशोधन रखा है। इसका महत्व हमारे क्षेत्र के लिये बहुत ही व्यापक है।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

यदि हम अपन देश में फूट को रोकन के इच्छुक हैं तो हमें पहले की अपेक्षा अल्पसंख्यकों की आवाज़ का अधिक ख्याल रखना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में मोटे तौर पर सरकार की नीति को व्यक्त किया है। यह बात तो मैं मानता हूं कि सारी बातें तो अभिभाषण में नहीं आ सकती। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दो वाक्यों का मुझ पर बहुत ही प्रभाव हुआ है जिसमें उन्होंने संसद सदस्यों को देश माता की सेवा के लिए सहयोग से कार्य करने को कहा है। मैं उन्हें इस सहयोग का विश्वास दिलाता हूं और साथ ही मेरा निवेदन है कि आसाम की ओर कुछ ध्यान दिया जाये। हम स्वतन्त्र भारत के स्वतन्त्र नागरिकों की तरह अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहते हैं। वे लोग घटिया दर्जे के नागरिक बनाये जाने के विरूद्ध हैं। वे चाहते हैं कि उनकी भी इस स्वतन्त्र भारत में अलग हस्ती हो। अलग राज्य की मांग को इस रूप में कभी भी नहीं लेना चाहिए कि वे देश से अलग होना चाहते हैं।

इस दिशा में मेरा निवेदन है कि अंग्रज़ों के राज्य से पहले भी आसाम के पहाड़ी लोग आर्थिक और राजनीतिक तौर पर आसाम से अलग ही थे। अंग्रेज़ ने उन्हें अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए आसाम के साथ जोड़ दिया था। परन्तु हमें तो विदेशी राज्य बिल्कुल पसन्द नहीं था। १८३५ ई० में हमने आसाम की पहाड़ियों में भारत की स्वतंत्रता का युद्ध लड़ा था। भारत स्वतन्त्र हुआ तो कुछ आशायें और निराशाओं के साथ पहाड़ी लोगों ने अपने अन्य आसामी बन्धुओं के साथ रहना मान लिया। परन्तु गत १५ वर्षों का अनुभव यह बताता है कि यह ठीक नहीं हुआ। आसाम के पहाड़ी लोग आसाम का कभी अंग नहीं समझे गये हैं। उन्होंने अलग राज्य की मांग इस कारण से की है कि आसाम सरकार ने वहां पर अल्पसंख्यकों की इच्छा को पूर्णतः अवहेलना की है। १९६०–६१ में जो उपद्रव वहां हुये यह उस बात का जीवित सबूत है। मैं यह जानता हूं और महसूस करता हूं कि श्री नेहरू हमारी कठिनाइयों को जानते हैं और स्वर्गीय पं० पन्त भी जानते थे उनसे हमारी इन समस्याओं पर कई बार बातचीत हो जाती थी। मेरा मत यह है कि जो दुर्घटनायें आसाम में हुई उन्हें टाला जा सकता था यदि सरकार तत्काल तथा सहानभूति से काम लती। मैं महसूस कर रहा हूं कि अब उन्हें कुछ अक्ल आ गयी होगी।

संसद के इस सत्र में नागालैंड को भारत का १६वां राज्य बनाने का विधयक प्रस्तुत हो रहा है, इस के लिए मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूं। इस से नागाओं का सहयोग प्राप्त होगा और वे राष्ट्र निर्माण के कार्य में जुट जायेंगे। उन्हें अपनी योग्यता अनुसार देश का कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। सभा की सूचना के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि आसाम के जल संसाधन सारे के सारे इसी पहाड़ी क्षत्र में है। इस का क्षेत्रफल ३०,००० वर्गमील है। यदि नेफा अन्य आदिम जातियों के लोग भी इसमें सम्मिलित हो जाये तो अलग राज्य के निर्माण से इन्कार नहीं किया जा सकता। हमारे लोग बहुत अधिक अशिक्षित हैं परन्तु उनके लिए यदि व्यवहारिक रूप में कुछ न किया गया तो इन एकता की बातों का उन पर कुछ प्रयत्न होने वाला नहीं। मैं चाहता हूं कि ये लोग भी शीघ्र ही राष्ट्रीय जीवन के स्तर को प्राप्त करें। इसके बिना ये भावात्मक एकता की बात हमें पूरी तरह मजाक दिखाई देती है।

गत चुनावों की बात ले लीजिए। इन चुनावों में सरकार का ध्यान इस ओर गया है और उन्होंने महसूस किया है कि आसाम में अल्प संख्यकों के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया गया। प्रधान मंत्री नेहरू के नाम का प्रभावशाली जादू वहां नहीं चला, हालांकि वह शिलांग में गये और उन्होंने कांग्रस के उम्मीदवारों को मत देने के लिए अपील की। आसाम में कुछ मंत्रियों को छोड़ कर बाकी लगभग सभी कांग्रेसियों की स्थिति डावांडोल थी। कांग्रेस ने वहां काफी जोर लगाया परन्तु वह वहां चुनाव जीत न सकी। यद्यपि उन्होंने काफी गलत प्रचार करने की भी कोशिश की हमारे प्रधान मंत्री लोक तंत्र में विश्वास रखते हैं, उन्हें अनुभव करना चाहिए कि सरकार उन क्षेत्रों के प्रति अन्याय पूर्ण रही है। और अब जब उन्हें चुनावों में केवल २७ प्रतिशत मत प्राप्त हुये हैं। उन्हें उन लोगों की आवाज को सुनना चाहिए ताकि वहां जो असन्तोष है वह दूर हो सके। इन शब्दों से मैं धन्यवाद प्रस्ताव के संशोधन का समर्थन करता हूं।

†श्री दाजी (इन्दौर) : आने वाले पांच वर्ष इस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे । इन वर्षों में यह निश्चित होगा कि आने वाले समय में लोकतंत्र का रूप क्या होगा । राष्ट्रपति के अभिभाषण से इस स्थिति का मुकाबला करने की प्रेरणा प्राप्त नहीं हो रही ।

सब से पहिले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अल्जीरिया की सरकार को शीघ्र मान्यता दी जाय तथा उस देश से राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित किय जायें । राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जो लोकतंत्रीय समाजवादी समाज के निर्माण की बात कही है उसका मैं स्वागत करता हूं । परन्तु इस दिशा में सरकार ने अभी व्यवहार रूप में कुछ किया नहीं है, अन्यथा प्रतिक्रियावादी शक्तियां देश में उस रूप में कभी दिखाई न देतो जिस रूप में कि वे आज दिखाई दे रही है । मेरा निवेदन है कि ये शक्ति देश के विकास के लिए एक भयंकर खतरा है । देश के सभी विवेकशील और विचारशील व्यक्तियों को उनका सामना करने के लिए एक हो जाना चाहिए । एक बात बड़ी ही महत्वपूर्ण है कि देश में जहां जहां भी कहीं राजाओं ने चुनाव लड़ा है ,चाहे वह कांग्रेस पार्टी की टिकट पर था चाहे स्वतन्त्र पार्टी की टिकट पर था, वह कहीं भी पराजित नहीं किया जा सका । इस ओर सब का ध्यान जाना चाहिए ।

अल्प संख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक आयोग स्थापित किया जाना चाहिए । छोटी छोटी अल्प संख्यकों की मांगों को उपेक्षा भाव से नहीं देखा जाना चाहिए । इसके बिना भावात्मक एकता सम्भव नहीं । इसके साथ ही मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि देश में एकाधिकार का खतरा बढ़ रहा है । हमारा मध्य प्रदेश तो बिरला प्रदेश बन रहा है । हमें जागरूक होकर आर्थिक केन्द्रीयकरण का मुकाबला करना होगा । यह आर्थिक केन्द्रीकरण बड़ी भयंकर स्थिति में पहुंच रहा है ।

जैसे कि मैंने कहा कि अभिभाषण में ढीली भावना के चिह्न पाये जाते हैं । मूल्यों की स्थिरता का उल्लेख किया गया है परन्तु व्यवहारिक रूप में स्थिति में कोई सुधार दिखाई नहीं देता । ठोस तथ्य कोरी बातों का खंडन करते हैं । उत्पादन की वृद्धि के बारे में दावा किया गया है । परन्तु व्यवहार में इसके कोई चिह्न दिखाई नहीं देते । नफे बहुत अधिक बढ़े गये हैं । मजे की बात यह है कि अधिकतम आय तो बहुत बढ गयी है परन्तु न्यूनतम आय पहले से भी बहुत अधिक कम हो गयी है । बरोजगारी निरन्तर बढ़ रही है, इस खतरे का भी मुकाबला करना ही होगा । बेरोजगारों के लाभ के लिए कोई निधि तुरन्त स्थापित की जानी चाहिये ।

हमारी विकसित हो रही अर्थ व्यवस्था में सरकारी उपक्रम बढ़ रहे हैं । वे हमारे समाजवाद की आशा है । परन्तु खेद का विषय है कि उनके संचालन का भार सेवा नियुक्त आयोग अधिकारियों के हाथों में सौंपा जाता है । कई तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है । परिस्थिति को देखते हुए मेरा सुझाव यह है कि सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में श्रम सम्बन्धों का विषय केन्द्र को अपने हाथ में ले लेना चाहिए । यह सिद्ध हो चुका है कि स्थानीय मजदूरों की गड़बड़ करने वाली घटनाओं को रोकने में नितान्त असमर्थ रहे हैं । अधिक उत्पादन के हित में यह बड़ी आवश्यक बात है ।

लोकतंत्र के नाम पर मैं इस बात पर भी अनुरोध करना चाहता हूं कि मैसूर के मराठी भाषी क्षेत्रों को महाराष्ट्र के साथ मिला दिया जाना चाहिए । लोकतंत्र की दृष्टि से ही देश में बढ़ रही तानाशाही की प्रवृत्तियों को रोकना चाहिए । विभिन्न स्थानों पर पुलिस द्वारा गोली चलाना रोका जाना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्त में मेरा यही कहना है कि यदि आप सचमुच इस देश में लोकतंत्रीय समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें प्रगतिशील नीति अपनानी होगी और सब का सहयोग लेने की राह निकालनी होगी ।

†**श्री कृ० ल० मोरे** (हंतकगले) : मैं अपने श्रद्धेय राष्ट्रपति को उन के अभिभाषण के लिए मुबारकबाद देता हूं । अभिभाषण में देश की परिस्थिति का ठीक नक्शा खींचा गया है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि सामुहिक रूप से हमारे देश ने काफी प्रगति की है । गत आम चुनावों में यह बात स्पष्ट हो गयी है कि लोगों ने सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों के पक्ष में अपना फैसला दिया है ।

अभिभाषण में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए निर्धारित लक्ष्यों के कार्यान्विति करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि सरकार ने इन जातियों के लिये बहुत कुछ किया है परन्तु मेरा निवेदन है कि हमें इस दिशा में काफी जागरूक रहने की आवश्यकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण सोमवार को जारी रख सकेंगे ।

इसके पश्चात् लोक-सभा ३० अप्रैल, १९६२/वैशाख १०, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रजी में ।

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, २७ अप्रैल, १९६२ / ७ वैशाख, १८८४ (शक)]

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		५९१
दो सदस्यों ने निम्नलिखित भाषा में शपथ ली अथवा प्रतिज्ञान किया :		
१ ने अंग्रेजी में ; और		
१ ने तेलुगु में ।		
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण		५९१—६१८
तारांकित प्रश्न संख्या		
२३३	दवाइयों की जांच के लिए केन्द्रीय संस्था	५९१–९२
२३४	राष्ट्रमण्डलीय देशों के प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन	५९३—९५
२३५	ट्रांजिस्टर रेडियो	५९६
२३६	कपास का आयात	५९७–९८
२३७	पाकिस्तान द्वारा वीसा दिया जाना	५९८–९९
२३८	भारत-अर्जेंटाइना व्यापार सम्बन्ध	६००
२३९	पटसन मजूरी बोर्ड की सिफारिशें	६००–०१
२४१	कोयला उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड	६०१–०२
२४३	केन्द्रीय आवास बोर्ड	६०२—०४
२४४	जापान को नमक का निर्यात	६०५–०६
२४५	निर्यात को बढ़ावा देना	६०६–०७
२४६	हैवी इलैक्ट्रिकल्ज़ प्लांट , भोपाल में औद्योगिक सम्बन्ध	६०७–०८
२४७	श्री फिजो	६०८—११
२४८	बैंक विवाद में पंचाट	६११
२४९	टिटागर पटसन मिल द्वारा काम बन्द कर देने का प्रस्ताव	६११–१२
२५०	"शत्रु-सार्थ" और "शत्रु-सम्पत्ति"	६१२–१३
२५१.	धनबाद भेजे गये केन्द्रीय सरकार के पदाधिकारी	६१३–१४
२५२	उर्वरक कारखाने	६१४—१७
२५३	नेफ़ा में दासता	६१७–१८

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर	६१८—३९
तारांकित प्रश्न संख्या	
२४० कर्मचारी भविष्य–निधि योजना	६१८
२४२ हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि०, पिम्परी	६१८–१९
२५४ नेपाल से निष्कासित भारतीय पत्रकार	६१९
२५५ बेरोजगारों के लिये निधि	६१९–२०
२५६ परमाणु भट्टी	६२०
२५७ छोटे पैमाने के उद्योगों को ऋण के लिये प्रत्याभूति योजना	६२०
२५८ कपड़ा मजूरी बोर्ड की सिफारिशें	६२१
२५९ लैटिन अमरीकी देशों को व्यापार शिष्टमंडल	६२१–२२
२६० पेट्रो–केमिकल उद्योग	६२२
२६१ पाकिस्तान के उप-उच्चायुक्त का मालदा जिले का दौरा	६२२–२३
२६२ पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों का पुनर्वास	६२३
२६३ अमरीका में इस्पात के मूल्य	६२३–२४
२६४ द्वितीय योजना में मनीपुर के लिये निधि का आवंटन	६२४
२६५ सीमा घटनायें	६२४
२६६ नेपा मिल	६२४–२५
२६७ नागालैंड में व्यावसायिक शिक्षा	६२५
२६८ जूट के लिये रक्षित भांडार अभिकरण	६२५
अतारांकित प्रश्न संख्या	
२२३ विद्रोही नागाओं के खिलाफ़ कार्यवाही पर व्यय	६२६
२२४ मालदीव द्वीप समूह	६२६
२२५ ग्राम समाज के निर्बल अंग	६२६–२७
२२६ पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा पर पाकिस्तानियों से मुठभेड़	६२७
२२७ केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड	६२७
२२८ सीरिया में भारतीय	६२७–२८
२२९ कोयला-खानों में दुर्घटनायें	६२८–२९
२३० ब्रिटेन में भारतीय आप्रवासी	६२९
२३१ नालीदार कागज का निर्माण	६२९–३०

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
२३२	गोले का आयात	६३०
२३३	मध्य प्रदेश में कपड़ा मिलें	६३०
२३४	उत्तर प्रदेश में कपड़ा उद्योग	६३१
२३५	निर्यात-वस्तुओं की किस्म का नियन्त्रण	६३१
२३६	केरल में औद्योगिक बस्तियां	६३१
२३७	मछली निर्यातकर्ताओं को सहायता	६३१–३२
२३८	केरल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कुटीर उद्योग	६३३
२३९	छोटे पैमाने के उद्योग	६३३
२४०	मारमागोआ बन्दरगाह	६३३–३४
२४१	नागालैंड के लिये प्रविधिक कर्मचारी	६३४
२४२	तिरुचिरापल्ली रेडियो कार्यक्रम	६३४–३५
२४३	इलायची उद्योग	६३५
२४४	उद्योगों के लिये राज्यों को ऋण	६३६
२४५	पुनर्वास उद्योग निगम	६३६
२४६	इंगलिस्तान कोचीन का निर्यात	६३६–६३७
२४७	उत्तर पूर्व भारत से चाय का निर्यात	६३७
२४८	इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूज़ पेपर सोसाइटी	६३७–३८
२४९	हथ करघे के कपड़े का निर्यात	६३८–३९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		६३९–४०
श्री श्रीनारायण दास ने बिहार में सीमेंट की कमी से उत्पन्न स्थिति की ओर इस्पात और भारी उद्योग मंत्री का ध्यान दिलाया।		
इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।		
सभा पटल पर रखे गये पत्र		६४०–४१
(१) सिनेमौटोग्राफ अधिनियम, १९५२ की धारा ८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ७ अप्रैल, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४५८ में प्रकाशित सिनेमैटोग्राफ (सेंसरशिप) संशोधन नियम, १९६२ की एक प्रति।		

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

(२) सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों का निष्कासन) अधिनियम, १९५८ की धारा १३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १० जून, १९६१ की जी० एस० आर० ७७९ में प्रकाशित सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों का निष्कासन) संशोधन नियम, १९६१ की एक प्रति ।

(३) कहवा अधिनियम, १९४२ की धारा ४८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १४ अप्रैल, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४७१ में प्रकाशित कहवा (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति ।

(४) न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८ की धारा ३०क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २३ दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५१२ में प्रकाशित न्यूनतम मजूरी (केन्द्रीय) तीसरा संशोधन नियम, १९६१ ।

(ख) दिनांक १७ फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २१३ में प्रकाशित न्यूनतम मजूरी (केन्द्रीय) संशोधन नियम, १९६२ ।

(५) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ३१ मार्च, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७१७ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) योजना, १९६२ ।

(ख) दिनांक ७ अप्रैल, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४६० में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) योजना, १९६२ ।

समितियों के लिए निर्वाचन ६४२-४३

(१) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मंत्री (श्री मनुभाई शाह) ने प्रस्ताव किया कि लोक-सभा के सदस्य रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) ने प्रस्ताव किया कि लोक-सभा के सदस्य केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से चार सदस्य चुनें । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विषय पृष्ठ

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ६४३—५१, ६५६—६३

२६-४-१९६२ को श्री हरिश्चन्द्र माथुर द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव तथा तत्संबंधी संशोधनों पर चर्चा जारी रही। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरःस्थापित ६५१—५६

(१) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ३४२ और ५६२ का संशोधन) **[श्री म० ला० द्विवेदी का]**

(२) कारखाना (संशोधन) विधेयक (नई धारा ९क का रखा जाना) विधेयक, **[श्री स० चं० सामन्त का]**

(३) विधान परिषद् (रचना) विधेयक, **[श्री श्रीनारायण दास का]**

(४) असैनिक उड्डयन (लाइसेंस देना) विधेयक, **[श्री जं० ब्र० सिंह विष्ट का]**

(५) भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, (धारा ६८ और ६९ का संशोधन) **[श्री स० चं० सामन्त का]**

(६) सरकारी नौकरी (निवास की आवश्यकता) संशोधन विधेयक, (धारा ५ का संशोधन) **[श्री जं० ब्र० सिंह विष्ट का]**

(७) व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, (धारा ८७ख का लोप) **[श्री म० ला० द्विवेदी का]**

(८) जमा करने और अनुचित लाभ उठाने को रोकना विधेयक, **[श्री म० ला० द्विवेदी का]**

(९) नारियल-जटा उद्योग (संशोधन) विधेयक, (धारा १०, २०, २१ और २६ का संशोधन) **[श्री स० चं० सामन्त का]**

(१०) चल-चित्र उद्योग कामगर (काम की दशा में सुधार) विधेयक, **[श्री ज० ब्र० सिंह विष्ट का]**

(११) हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, (नई धारा २३क का रखा जाना) **[श्री जं० ब्र० सिंह विष्ट का]**

सोमवार, ३० अप्रैल, १९६२/१० वैशाख, १८८४ (शक) के लिए कार्यावलि—

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा।

विषय-सूची—क्रमशः

पृष्ठ

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव—क्रमशः

श्री पु० र० पटेल ६५९–६०

श्री शाम नाथ ६६०

श्री स्वैल ६६०–६१

श्री दाजी ६६२–६३

श्री कृ० ल० मोरे ६६३

विधेयक पुरःस्थापित—

(१) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ३४२ और ५६२ का संशोधन) **[श्री म० ला० द्विवेदी का]** ६५१–५२

(२) कारखाना (संशोधन) विधेयक (नई धारा ९क का रखा जाना) **[श्री स० चं० सामन्त का]** ६५२

(३) विधान परिषद् (रचना) विधेयक, **[श्री श्रीनारायण दास का]** ६५२

(४) असैनिक उड्डयन (लाइसेंस देना) विधेयक **[श्री जं० ब्र० सिं० बिष्ट का]** ६५३

(५) भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, (धारा ६८ और ६९ का संशोधन) **[श्री स० चं० सामन्त का]** ६५४

(६) सरकारी नौकरी (निवास की आवश्यकता) संशोधन विधेयक, (धारा ५ का संशोधन) **[श्री ज० ब्र० सिं० बिष्ट का]** ६५४

(७) व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, (धारा ८७ख का लोप) **[श्री म० ला० द्विवदी का]** ६५५

(८) जमा करने और अनुचित लाभ उठाने को रोकना, विधेयक **[श्री म० ला० द्विवेदी का]** ६५५

(९) नारियल-जटा उद्योग (संशोधन) विधेयक, (धारा १०, २०, २१ और २६ का संशोधन) **[श्री स० चं० सामन्त का]** ६५५

(१०) चल-चित्र उद्योग कामगर (काम की दशा में सुधार) विधेयक, **[श्री ज० ब्र० सिं० बिष्ट का]** ६५६

(११) हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, (नई धारा २३क का रखा जाना) **[श्री जं० ब्र० सिं० बिष्ट का]** ६५६

दैनिक संक्षेपिका ६६४—६८

समेकित विषय-सूचि [१६ से २७ अप्रैल, १९६२/२६ चैत्र से ७ वैशाख, १८८४ (शक)]

PLS. 41. I. 10. 62.
150.

© १९६२ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित।